न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर–द्वितीय, मुख्यालय चौमूं

पीठासीन अधिकारी : **श्वेता ढ़ाका,** आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या : 10/2023
सी.आई.एस. नम्बर : 10/2023
सी.एन.आर. नम्बर : RJJT23000330-2023

राजस्थान राज्य बनाम महेश चंद उर्फ राजू वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–539/2022, पुलिस थाना हरमाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दंड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री विष्णु कुमार वर्मा पुत्र श्री रतन लाल
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान सरकार जरिये विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार सैनी
अभियुक्तगण	1. **महेश चन्द उर्फ राजू** पुत्र श्री रामचन्द्र, उम्र 41 साल, निवासी सेक्टर 11, मकान नम्बर 874, पुरानी पुलिया के पास, मालवीय नगर, पुलिस थाना मालवीय नगर, जिला जयपुर हाल प्लॉट नम्बर 3, अंकित वाटिका कॉलोनी, आगरा रोड, जामडोली, पुलिस थाना कानोता, जिला जयपुर 2. **मुकेश सिंह राठौड** पुत्र महावीर सिंह, उम्र 41 साल, निवासी ग्राम दुधवाखारा, तहसील चुरू, पुलिस थाना दुधवाखारा, जिला चुरू हाल मकान नम्बर 133, झालाना, ग्राम मालवीय नगर, पुलिस थाना मालवीय नगर, जयपुर वर्तमान पता सर्वे नम्बर 179, कुण्डा बस्ती, झालाना, पुलिस थाना मालवीय नगर, जिला जयपुर। 3. **सोनू सिंह** पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह, उम्र 32 साल, निवासी मकान नम्बर 44, एसओजी महल के पास, कुण्डा बस्ती, मालवीय नगर, पुलिस थाना मालवीय नगर, जिला जयपुर।

	4. **राकेश कुमार बैरवा** पुत्र श्री हरिश कुमार बैरवा, उम्र 34 साल, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील नांगल, पुलिस थाना नांगल राजावत, जिला दौसा हाल 39 सुदर्शन कॉलोनी, गैटोर रोड, मालवीय नगर, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर। 5. **महेन्द्र सिंह राठोड** पुत्र श्री पन्नेसिंह राठोड, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम देसवाल, तहसील मेडता रोड, पुलिस थाना कुचेरा, जिला नागौर, हाल किरायेदार मकान नम्बर 42, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, नगर निगम हेड ऑफिस के पास पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर। 6. **प्रमोद कुमार जाटव** पुत्र श्री मुकेश कुमार जाटव, उम्र 26 साल, निवासी मकान नम्बर 153, पठान मौहल्ला, जाटव बस्ती, फतेहाबाद, पुलिस थाना फतेहाबाद, जिला आगरा, उत्तरप्रदेश।
विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण	1. **श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता,** अभियुक्त महेश चंद उर्फ राजू की ओर से 2. **श्री बी.एल. कुडी, अधिवक्ता,** अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह व प्रमोद कुमार जाटव की ओर से 3. **श्री उमेश शर्मा,श्री लक्ष्मण सिंह दहिया एवं श्री मुबारिक अली, अधिवक्तागण,** अभियुक्तगण मुकेश सिंह व सोनू सिंह की ओर से 4. **श्री हेमाराम चौधरी, अधिवक्ता,** अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से

B

अपराध की दिनांक	05.10.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट	539/2022 पुलिस थाना हरमाडा
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.02.2023
आरोप विरचित करने की दिनांक	30.11.2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	21.12.2023
निर्णय आरक्षित की दिनांक	16.07.2026
निर्णय दिनांक	27.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	—

C
अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	महेश चन्द्र उर्फ राजू	30.11.22	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
2.	मुकेश सिंह राठौड	30.11.22	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
3.	सोनू सिंह	30.11.22	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
4.	राकेश कुमार बैरवा	30.11.22	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
5.	महेन्द्र सिंह राठोड	27.12.22	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–
6.	प्रमोद कुमार जाटव	20.01.23	–	302 सपठित 34,109 सपठित 34, 120बी भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ– अभियोजन गवाहान

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी डब्ल्यू 01	राजेन्द्र कन्नौजिया	फर्द पंचायतनामा लाश, तहरीर रिपोर्ट, फर्द नक्शामौका घटनास्थल साक्ष्य
पी डब्ल्यू 02	विशाल कन्नौजिया	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 03	श्री धर्मवीर सिंह	फर्द तस्दीक नक्शा मौका साक्ष्य
पी डब्ल्यू 04	श्री अभिषेक शर्मा	विशेषज्ञ साक्ष्य
पी डब्ल्यू 05	श्री इन्द्रदान चारण	अनुसंधान साक्ष्य
पी डब्ल्यू 06	श्री सोनू कन्नौजिया	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 07	श्री सुरेश चन्द्र	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 08	श्री मुकुल वर्मा	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 09	श्री विष्णु कुमार वर्मा	शिकायतकर्ता
पी डब्ल्यू 10	श्री मोनू वर्मा	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 11	श्री महेन्द्र	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 12	श्री दयाराम	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जप्ती, फर्द नक्शा मौका जप्तीस्थल साक्ष्य
पी डब्ल्यू 13	डॉ. ज्ञानप्रकाश गौड़	चिकित्सकीय साक्ष्य
पी डब्ल्यू 14	श्री गोविन्द कन्नौजिया	फर्द पंचायतनामा लाश साक्ष्य
पी डब्ल्यू 15	श्री सुनिल कनोजिया	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द निरिक्षण व सुपुर्दगी मोटरसाईकिल साक्ष्य
पी डब्ल्यू 16	श्री लखन	फर्द जप्ती साक्ष्य, फर्द नक्शामौका जप्तीस्थल साक्ष्य
पी डब्ल्यू 17	श्री रामावतार	फर्द जप्ती साक्ष्य
पी डब्ल्यू 18	श्री रघुनाथ प्रसाद	फर्द जप्ती साक्ष्य
पी डब्ल्यू 19	श्री सत्यनारायण बोहरा	फर्द जप्ती, फर्द धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र साक्ष्य

पी डब्ल्यू 20	श्री अर्जुन लाल	विशेषज्ञ साक्ष्य, फर्द मेकेनिकल रिपोर्ट वाहन साक्ष्य
पी डब्ल्यू 21	श्री घनश्याम	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी साक्ष्य
पी डब्ल्यू 22	श्री हंसराज वर्मा	फर्द जप्ती साक्ष्य
पी डब्ल्यू 23	श्री सत्यनारायण	अनुसंधान साक्ष्य
पी डब्ल्यू 24	श्री विजय कुमावत	अनुसंधान साक्ष्य
पी डब्ल्यू 25	श्री हरि सिंह	औपचारिक साक्ष्य
पी डब्ल्यू 26	डॉ. राशि	चिकित्सकीय साक्ष्य
पी डब्ल्यू 27	श्री प्रभात भूषण	विशेषज्ञ साक्ष्य
पी डब्ल्यू 28	श्री राजेश त्रिपाठी	विशेषज्ञ साक्ष्य
पी डब्ल्यू 29	श्री दिक्षांत शर्मा	फर्द विवरण बीमा पॉलिसी साक्ष्य
पी डब्ल्यू 30	श्री धर्मपाल	फर्द नक्शा मौका साक्ष्य
पी डब्ल्यू 31	श्री दीपक	विशेषज्ञ साक्ष्य
पी डब्ल्यू 32	श्री सरजु कुमार	फर्द नक्शा मौका साक्ष्य, फर्द एफएसएल प्राप्ति रसीद
पी डब्ल्यू 33	श्री रामप्रताप	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जप्ती, फर्द नक्शा मौका, फर्द विश्लेषण मोबाईल साक्ष्य
पी डब्ल्यू 34	श्री जगदीश प्रसाद	जांच अधिकारी
पी डब्ल्यू 35	श्री हरिपाल सिंह	जांच अधिकारी
पी डब्ल्यू 36	श्री रामगोपाल	अनुसंधान साक्ष्य
पी डब्ल्यू 37	श्री सुरेन्द्र	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जप्ती, फर्द नक्शामौका साक्ष्य

ब– बचाव गवाहान

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
—	—	—

स— न्यायालय गवाहान

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
—	—	—

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ—अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी—1	तहरीर रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी—2	मृतका शालू की लाश का पंचायत नामा
3.	प्रदर्श पी—3	रसीद सुपुर्दगी लाश
4.	प्रदर्श पी—4	फर्द निरीक्षण एवं नक्शा मौका घटनास्थल
5.	प्रदर्श पी—5	फर्द निरिक्षण एव फर्द सुपुर्दगी दुर्घटना ग्रस्त वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर जे 14 केडी 5367
6.	प्रदर्श पी—6	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल सी—2 प्लाजा तिराहा
7.	प्रदर्श पी —7	ओडियो रिकोर्डिंग का लिखित विवरण—ट्रांसक्रिप्ट
8.	प्रदर्श पी—8	ओडियो रिकोर्डिंग का लिखित विवरण—ट्रांसक्रिप्ट
9.	प्रदर्श पी —9	ओडियो रिकोर्डिंग का लिखित विवरण—ट्रांसक्रिप्ट
10.	प्रदर्श पी—10	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
11.	प्रदर्श पी—11	होटल का रजिस्टर
12.	प्रदर्श पी—11ए	होटल के रजिस्टर की प्रति
13.	प्रदर्श पी—11	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक राजू
14.	प्रदर्श पी—12	दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत् टाईपशुदा रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी—13	चॉकशुदा एफ.आई.आर.
16.	प्रदर्श पी—14	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम महेश चन्द उर्फ राजू
17.	प्रदर्श पी—15	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम मुकेश सिंह
18.	प्रदर्श पी—16	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम सोनू सिंह
19.	प्रदर्श पी—17	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम राकेश बैरवा
20.	प्रदर्श पी—18	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम महेन्द्र सिंह राठौड
21.	प्रदर्श पी—19	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम प्रमोद कुमार जाटव
22.	प्रदर्श पी—20	फर्द बरामदगी एवं जब्ती मोटरसाईकिल होण्डा ड्रीम योगा नम्बर आर जे 14 वाई डी 1581
23.	प्रदर्श पी—21	फर्द नक्शा मौका बरामदगी एवं जब्ती स्थल
24.	प्रदर्श पी—22	फर्द बरामदगी एंव जब्ती अल्टो कार नं. आरजे 14 सीए 4675

25.	प्रदर्श पी—23	फर्द नक्शा मौका बरामदगी एवं जब्ती स्थल
26.	प्रदर्श पी—24	फर्द चैकिंग, निरीक्षण व जब्ती मोबाईल
27.	प्रदर्श पी—25	फर्द पेशकशी एवं फर्द निरीक्षण जब्ती 4 सील्डशुदा ऑडियो सी.डी., ट्रांसक्रिप्ट
28.	प्रदर्श पी—26	फर्द पेशकशी एवं फर्द निरीक्षण जब्ती मोबाईल फोन स्क्रीन टच वीवो कम्पनी
29.	प्रदर्श पी—27	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
30.	प्रदर्श पी—28	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
31.	प्रदर्श पी—29	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
32.	प्रदर्श पी—30	फर्द जप्ती मोबाईल फोन कीपेड आईटेल कम्पनी
33.	प्रदर्श पी—31	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
34.	प्रदर्श पी—32	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
35.	प्रदर्श पी—33	फर्द नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
36.	प्रदर्श पी—34	फर्द बरामदगी एवं जब्ती एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का स्क्रीन टच
37.	प्रदर्श पी—35	फर्द नक्शा मौका बरामदगी एंव जब्तीस्थल मोबाईल फोन वीवो कम्पनी
38.	प्रदर्श पी—36	फर्द पेशकशी एवं जब्ती एक पैन ड्राईव
39.	प्रदर्श पी—37	फर्द चैकिंग, निरीक्षण व जप्ती एक मोबाईल फोन टचस्क्रीन
40.	प्रदर्श पी—38	फर्द विश्लेषण मोबाईल की कॉल डिटेल, लोकेशन, सिम उपयोगकर्ता मुलजिमान महेश चंद्र, मुकेश सिंह, सोनू सिंह, महेन्द्र सिंह, राकेश कुमार व प्रमोद कुमार
41.	प्रदर्श पी—39	पोस्टमोर्टम रिपोर्ट मृतका शालू
42.	प्रदर्श पी—40	फर्द निरिक्षण एवं जब्ती दुर्घटना कारित वाहन सफारी नं. आर जे 14 यूसी 7615
43.	प्रदर्श पी—41	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
44.	प्रदर्श पी—42	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
45.	प्रदर्श पी—43	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा आईआईएफएल गोल्ड लोन कम्पनी को दी गई तहरीर
46.	प्रदर्श पी—44	गोल्ड लोन से संबंधित दस्तावेज
47.	प्रदर्श पी—45	गोल्ड लोन से संबंधित दस्तावेज
48.	प्रदर्श पी—46	पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट मृतक राजू
49.	प्रदर्श पी—47	राकेश के मो.नं. 7665541818 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म
50.	प्रदर्श पी—48	सोनू कुमार के मो.नं. 7976754499 का कस्टमर एप्लीकशन फार्म
51.	प्रदर्श पी—49	प्रमोद कुमार क मो.नं. 8239423294 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म
52.	प्रदर्श पी—50	ओडियो, विडियो व मैसेज सीडीआर रिपोर्ट
53.	प्रदर्श पी—51	ओडियो, विडियो व मैसेज सीडीआर रिपोर्ट

54.	प्रदर्श पी–52	ओडियो, विडियो व मैसेज सीडीआर रिपोर्ट
55.	प्रदर्श पी–53	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
56.	प्रदर्श पी–54	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
57.	प्रदर्श पी–55	शालू के मो.नं. 6375871052 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म
58.	प्रदर्श पी–56	मो.नं. 6375871052 की ओडियो, विडियो व मैसेज सीडीआर रिपोर्ट
59.	प्रदर्श पी–56	ओडियो, विडियो व मैसेज सीडीआर रिपोर्ट
60.	प्रदर्श पी–57	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
61.	प्रदर्श पी–58	महेन्द्र सिंह के मो.नं. 9521594501 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
62.	प्रदर्श पी–59	मो.नं. 9521594501 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
63.	प्रदर्श पी–60	मुकेश सिंह के मो. नं. 9694358706 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
64.	प्रदर्श पी–61	मुकेश सिंह के मो. नं. 9694358706 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
65.	प्रदर्श पी–62	मो.नं. 9694358706 की कॉल डिटेल रिपोर्ट
66.	प्रदर्श पी–63	सोनु कुमार के मो. नं. 7424973344 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
67.	प्रदर्श पी–64	मो. नं. 7424973344 की कॉल डिटेल
68.	प्रदर्श पी–65	बीमा पॉलिसी से संबंधित विवरण
69.	प्रदर्श पी–66	बीमा कम्पनी प्रपोजल फार्म
70.	प्रदर्श पी–67	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
71.	प्रदर्श पी–68	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
72.	प्रदर्श पी–69	राकेश कुमार बैरवा के मो. नं. 9782782024 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
73.	प्रदर्श पी–70	मुकेश सिंह राठौड के मो. नं. 7300332440 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
74.	प्रदर्श पी–72	महेश चन्द्र के मो. नं. 9829348952 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
75.	प्रदर्श पी–72	एयरटेल मोबाईल कम्पनी द्वारा पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम को लिखा गया पत्र
76.	प्रदर्श पी–73	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
77.	प्रदर्श पी–74	राजू मो. नं. 9928905893 का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म
78.	प्रदर्श पी–75	मो. नं. 9928905893 की सीडीआर
79.	प्रदर्श पी–76	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
80.	प्रदर्श पी–77	मो. नं. 9782782024 की सीडीआर
81.	प्रदर्श पी–78	मो. नं. 7300332440 की सीडीआर
82.	प्रदर्श पी–79	मो. नं. 9829348952 की सीडीआर

83.	प्रदर्श पी–80	एफ एस एल प्राप्ति रसीद
84.	प्रदर्श पी–81	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा टाटा इंश्योरेन्स कम्पनी को जारी तहरीर
85.	प्रदर्श पी–82	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 315
86.	प्रदर्श पी–83	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 377 / 22
87.	प्रदर्श पी–84	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 382 / 22
88.	प्रदर्श पी–85	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 01 / 23
89.	प्रदर्श पी–86	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 16 / 23
90.	प्रदर्श पी–87	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 29 / 23
91.	प्रदर्श पी–88	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 32 / 23
92.	प्रदर्श पी–89	मालखाना रजिस्टर मद संख्या 43 / 23
93.	प्रदर्श पी–90	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा अभियुक्तगण के मोबाईल नं. की कैफ आईडी उपलब्ध कराने बाबत् जारी पत्र
94.	प्रदर्श पी–91	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा डी.सी.पी. को जारी पत्र
95.	प्रदर्श पी–92	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
96.	प्रदर्श पी–93	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
97.	प्रदर्श पी–94	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
98.	प्रदर्श पी–95	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
99.	प्रदर्श पी–96	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
100.	प्रदर्श पी–97	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
101.	प्रदर्श पी–98	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
102.	प्रदर्श पी–99	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
103.	प्रदर्श पी–100	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
104.	प्रदर्श पी–101	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
105.	प्रदर्श पी–102	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
106.	प्रदर्श पी–103	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
107.	प्रदर्श पी–104	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
108.	प्रदर्श पी–105	अभियुक्त महेश की जामा तलाशी में मिले आधार कार्ड, आर. सी. व डी.एल. मोटरसाईकिल नं. आर जे 14 वाई.डी. 1581
109.	प्रदर्श पी–106	मृतका शालू का आधार कार्ड व पैन कार्ड तथा मुकेश सिंह राठौड का आधार कार्ड
110.	प्रदर्श पी–107	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
111.	प्रदर्श पी–108	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
112.	प्रदर्श पी–109	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
113.	प्रदर्श पी–110	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
114.	प्रदर्श पी–111	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
115.	प्रदर्श पी–112	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम

116.	प्रदर्श पी–113	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
117.	प्रदर्श पी–114	अभियुक्त महेश के फोन की चेट के स्क्रीन शॉट का प्रिन्ट आउट
118.	प्रदर्श पी–115	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा जारी पत्र दिनांकित 13.03.2023
119.	प्रदर्श पी–116	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
120.	प्रदर्श पी–117	प्रमोद कुमार जाटव का आधार कार्ड
121.	प्रदर्श पी–118	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा महिला थाना जयपुर पश्चिम को अनुसंधान हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराने बाबत् जारी तहरीर
122.	प्रदर्श पी–119	चार्जशीट की प्रमाणित प्रति
123.	प्रदर्श पी–120	एफआईआर की प्रमाणित प्रति
124.	प्रदर्श पी–121	पुलिस थाना हरमाडा द्वारा पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम को जारी पत्र
125.	प्रदर्श पी–122	अभियुक्त मुकेश सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड
126.	प्रदर्श पी–123	अभियुक्त महेन्द्र सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड
127.	प्रदर्श पी–124 लगायत 133	रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां
128.	प्रदर्श पी–134	अभियुक्त महेन्द्र सिंह का डी.एल. व आधार कार्ड
129.	प्रदर्श पी–135	चिट चैपा मार्का–ए
130.	प्रदर्श पी–136	चिट चैपा मार्का–सी
131.	प्रदर्श पी–137	चिट चैपा मार्का–डी
132.	प्रदर्श पी–138	चिट चैपा मार्का–ई
133.	प्रदर्श पी–139	चिट चैपा मार्का–एफ

ब– बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श नंबर**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान धारा 161 सी आर पी सी गवाह राजेन्द्र
2	प्रदर्श डी 2	पुलिस बयान धारा 161 सी आर पी सी गवाह विष्णु कुमार
3	प्रदर्श डी 3	कार्यालय पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), आयुक्तालय जयपुर द्वारा नोडल ऑफिसर, आईडिया वोडाफोन लिमिटेड को प्रेषित पत्रांक 64–65 दिनांक 24.01.2023
4	प्रदर्श डी 4	नगर निगम, जयपुर ग्रेटर द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र
5	प्रदर्श डी 5	कार्यालय पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), आयुक्तालय जयपुर द्वारा नोडल ऑफिसर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को जारी पत्रांक 23–24 दिनांक 16.02.2023
6	प्रदर्श डी 6	कार्यालय पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), आयुक्तालय, जयपुर द्वारा नोडल ऑफिसर, भारती एयरटेल को जारी पत्रांक 137–138 दिनांक 24.02.2023

स– न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
—	—	—

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
01	आर्टिकल–01	घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग की पैनड्राईव
02	आर्टिकल–02	कॉल डिटेल की सीडी
03	आर्टिकल–03	मोबाईल फोन स्क्रीन टच वीवो कम्पनी
04	आर्टिकल–04	मोबाईल फोन की पेड
05	आर्टिकल–05	पैन ड्राईव SANDISK कम्पनी की
06	आर्टिकल–06	मोबाईल फोन स्क्रीन टच वीवो कम्पनी
07	आर्टिकल–07	मोबाईल फोन स्क्रीन टच
08	आर्टिकल–08 लगायत 11	मोबाईल वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट सीडी

:: निर्णय :: **दिनांक 27.07.2026**

1— इस निर्णय द्वारा अभियुक्तगण **महेश चन्द्र उर्फ राजू, मुकेश सिंह राठौड, सोनू सिंह, राकेश कुमार बैरवा, महेन्द्र सिंह राठोड व प्रमोद कुमार जाटव** के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता**, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 539/2022 पुलिस थाना हरमाड़ा का निस्तारण किया जा रहा है।

2— संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी विष्णु कुमार वर्मा ने दिनांक 15.10.2022 को पुलिस थाना हरमाडा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 05.10.2022 को समय सुबह के करीब 05.45 बजे परिवादी का भान्जा राजू उम्र 27 वर्ष पुत्र भैरू निवासी 135 शेखावाटी नगर रोड नं. 05 के सामने मुरलीपुरा जयपुर था परिवादी की भतीजी शालू उम्र 29 वर्ष निवासी सी–341 मस्जिद के सामने मुरलीपुरा जयपुर अपनी मोटरसाईकिल नं. आर जे 14 केडी 5367 मुरलीपुरा से सामोद हनुमान जी के जा रहे थे तो हरमाडा घाटी सीकर रोड पर पहुंचते ही पीछे से आ रही टाटा सफारी कार नं. आर जे 14 यूसी 7615 के चालक ने अपनी कार को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये उसके भान्जे की

मोटरसाईकिल के पीछे से जोरदार टककर मार दी जिसके बाद आसपास के लोगो ने उक्त लोगो को एम्बुलैंस से एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसकी भतीजी शालू को मृत घोषित कर दिया तथा भान्जे राजू के सिर में तथा शरीर पर गम्भीर चोट आई है जिनकी दुर्लभ जी अस्पताल रामबाग सर्किल जयपुर में ईलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त दुर्घटना कार चालक द्वारा कार को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाने से घटी है.......... इत्यादि।

3— उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हरमाडा द्वारा अभियोग संख्या 539 / 2023, अन्तर्गत धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण महेश चदं उर्फ राजू, मुकेश सिंह राठौड, सोनू सिंह, राकेश कुमार बैरवा, महेन्द्र सिंह राठौड़ एवं प्रमोद कुमार जाटव के विरूद्ध धारा 302,109,120बी,34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम—17 जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूं में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय में कमिट होकर प्राप्त हुआ।

4— बहस आरोप सुनी गई एवं अभियुक्तगण महेश चन्द्र उर्फ राजू, मुकेश सिंह राठौड, सोनू सिंह, राकेश कुमार बैरवा, महेन्द्र सिंह राठोड व प्रमोद कुमार जाटव को धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर प्रकरण में विचारण प्रारंभ किया गया।

5— विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पूर्व में वर्णित 37 गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पूर्व में वर्णितानुसार दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाए गए।

6— साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, तो अभियुक्तगण ने

अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूँठा फॅसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

<u>उभय पक्ष की बहस :—</u>

7— तदुपरान्त बहस अन्तिम सुनी गई। अभियुक्त राकेश की ओर से लिखित बहस भी पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8— विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी एवं अन्य गवाहों ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से सम्पुष्टि की है। परिवादी एवं अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में ठोस एवं परस्पर पुष्टिकारक साक्ष्य दी है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित होता है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा अभियोजन की सम्पूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डनीय रही है, जिस पर अविश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अन्त में अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

9— इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है और ऐसी स्थिति में न्यायालय को न्यायिक दृष्टान्त ***1984(4) SCC 166 Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra*** में प्रतिपादित किये गये पंचशील सिद्धान्तों की रोशनी में अभियोजन की साक्ष्य के संबंध में विचार करना है और यदि पंचशील सिद्धान्तों की रोशनी में अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें, तो अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप हैं कि मृतका के पति महेश ने उसकी बीमा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर उसका एक्सीडेन्ट करवा दिया, परन्तु उनका तर्क रहा कि सर्वप्रथम अभियोजन यही साबित करने में विफल रहा है कि मृतका का कोई बीमा अभियुक्त ने करवाया हो। पत्रावली पर अभियोजन यह भी साबित नहीं कर

पाता है कि मृतका की मृत्यु कोई पूर्व नियोजित हत्या थी और दुर्घटना नहीं थी।

10— उनका तर्क रहा कि उक्त दुर्घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और जो सी.सी.टी.वी. फुटेज हैं, उसमें टक्कर मारने वाला वाहन किस कम्पनी, किस मॉडल का था या उसके नम्बर क्या थे या उसमें कौन बैठा था, वाहन कौन चला रहा था, ना तो यह सी.सी.टी.वी. फुटेज से स्पष्ट होता है, ना ही इस संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य आई है। अभियोजन की कहानी के मुताबिक यह दुर्घटना टाटा सफारी गाड़ी नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 7615 से हुई, के बाबत् भी वह अपने तर्कों को साबित नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्वप्रथम तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, वह सी.सी.टी.वी. फुटेज में मौके पर रूकती हुई नहीं दिखाई देती है और यह स्वीकृत तथ्य है कि उसे हरमाड़ा टोल से जब्त किया गया था, तो मौके से वह हरमाड़ा टोल तक कैसे पहुॅची, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, इन परिस्थितियों में अभियोजन यही साबित नहीं कर पाता, कि मृतका की मृत्यु कोई पूर्व नियोजित हत्या हो।

11— उनका यह भी तर्क रहा कि जहॉ तक आपराधिक षड़यंत्र रचकर दुर्घटना कारित करवाकर मृत्यु कारित करने की सुपारी देने का प्रश्न है, तो इस संबंध में भी अभियोजन ने केवल अभियुक्तगण द्वारा दी गई इत्तिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कॉल रिकॉर्ड मात्र ही प्रस्तुत किया है। उनका तर्क रहा कि कॉल रिकॉर्ड कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है और धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिलाएॅ, कि दुर्घटना कारित कर के हत्या करने से पहले मृतका की रेकी की गई थी, के संबंध में अन्य कोई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और इस प्रकार धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से लेश मात्र भी नहीं होती है।

12— उनका यह भी तर्क रहा कि अभियोजन की साक्ष्य पूर्ण अखण्ड और दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ियॉ अनुपस्थित हैं, जिससे अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है और मामला सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अन्त में विद्वान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

13– उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार से है कि :–

(1) ***"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 05.10.2022 को समय सुबह 5.45 बजे या इसके करीब किसी समय मौजा हरमाडा घाटी, सीकर रोड, तहत थाना हरमाडा, सरहद जयपुर महानगर पर आपस में मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर एक राय होकर वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 14 के.डी. 5367 पर सवार राजू व शालू के पीछे से टाटा सफारी कार नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 7615 से जोरदार टक्कर मारकर उनकी हत्या कारित की तथा शालू की हत्या करने के आशय से अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर उनकी मोटरसाईकिल के पीछे से उक्त टाटा सफारी कार से जोरदार टक्कर मारने का कृत्य दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कारित किया और इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपित अपराध कारित किया ?***

(2) ***यदि हॉ,तो अभियुक्तगण को क्या दण्ड मिलना चाहिए ?***

14– उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्त महेश चंद ने अपनी पत्नी मृतका शालू का एक करोड़ नब्बे लाख रूपये का बीमा कराया और उसी बीमा राशि को प्राप्त करने के लिये अभियुक्त महेश चंद ने अन्य अभियुक्त मुकेश को आठ लाख रूपये में पत्नी शालू का एक्सीडेन्ट करवाकर मारने की सुपारी दी और उसे चार लाख रूपये एडवान्स दिये। फिर मुकेश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शालू की रेकी करने लगा, जिसके लिये अल्टो कार नम्बर आर.जे. 14 सीए 4675 व मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 14 वाईडी 1583 से रेकी की। अभियुक्त महेश चंद ने मृतका को ग्यारह बार बालाजी की जात देने को बोला था। मृतका शालू तोतला वाले बालाजी (जिसे अनुसंधान अधिकारी के बयानों के मुताबिक पापड़ वाले हनुमानजी भी बोलते हैं), जाती थी, परन्तु वहॉ उसे मारना संभव नहीं होने से अभियुक्त महेश चंद ने उसे सामोद वीर हनुमानजी जाने को कहा। फिर योजना के अनुसार दिनांक 05.10.2022 को सामोद वीर हनुमानजी जाने का दबाव डाला और मुकेश को सूचित किया,

कि वह 05.10.2022 को सुबह पॉच बजे वीर हनुमानजी जाएगी। अभियुक्तगण ने फिर दिनांक 04.10.2022 को शाम को मिलकर सिटी प्लाजा तिराहा, मालवीय नगर पर मोटरसाईकिल को टक्कर मारने की योजना बनाई। अभियुक्त महेश चंद ने अपनी स्वयं की मोटरसाईकिल पर चलकर शालू को बताया। मुलजिमान महेन्द्र, मुकेश व प्रमोद ने राकेश की सफारी गाड़ी आर.जे. यू.सी. 7615 से शालू और उसके फुफेरे भाई राजू को उसकी मोटरसाईकिल आर.जे. 14 केडी 5367 को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सोनू सिंह तब अल्टो कार से मुकेश, महेन्द्र व प्रमोद को लेकर मालवीय नगर आ गया, जहॉ से सब अपने–अपने घर चले गये। अभियुक्त महेश चंद भी मौके पर मृत पत्नी को देखकर अपने घर चला गया।

15– अभियोजन के उपरोक्त तर्कों के मध्यनजर यह तो स्पष्ट है कि हस्तगत घटना में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और ऐसी स्थिति में अभियोजन का पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय ***1984(4) SCC 166 Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra*** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन को स्वयं अपने मामले को प्रमाणित करना होता है व उसे अपने पैरों पर खडे होना होता है। अतः बचाव पक्ष की कमियों के आधार पर अपने मामले को प्रमाणित नहीं कर सकता। इसी प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में 05 गोल्डन प्रिंसिपल (पंचशील सिद्धान्त) बताए है, जो इस प्रकार है–

1- The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

2- The facts so established should be consistent with the hypothesis of guilt and the accused that is to say they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty

3- The circumstances should be of a conclusive nature and tendency

4- They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved and

5- There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused-

16— न्यायालय को यह देखना है, कि क्या अभियोजन अपने आरोपों को उन पंचशील सिद्धान्त के मुताबिक साबित कर पाया है अथवा नहीं। अभियोजन की उक्त कहानी की पुष्टि के संबंध में न्यायालय को कोई भी निष्कर्ष दिये जाने के लिये निम्न प्रश्नों पर विचार करना उचित प्रकट होता है:—

प्रश्न 1:—क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि अभियुक्त महेश ने अपनी पत्नी के नाम पर तथाकथित बीमा पॉलिसी करवाई, जिसका प्रीमियम उसी ने जमा करवाया तथा आर्थिक लाभ भी उसको मिलने वाला था, और क्या अभियोजन अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मोटिव को साबित करने में सफल रहा है?

प्रश्न 2:—क्या अभियोजन यह साबित कर पाया, कि योजना के अनुसार अभियुक्त महेश चंद ने अपनी पत्नी मृतका शालू को ग्यारह बार हनुमानजी की जात देने के लिये कहा और मृतका तोतला वाले हनुमानजी जाने लगी, परन्तु वहाँ पर हत्या करना संभव नहीं होने से अभियुक्त महेश चंद ने उसे सामोद वाले हनुमानजी जाने को कहा?

प्रश्न 3:—क्या अभियोजन यह साबित कर पाया है कि मृतका और उसके भाई राजू की मोटरसाईकिल को राकेश की सफारी गाड़ी आर.जे. 14 यूसी 7615 से टक्कर मारकर हत्या कारित की गई?

प्रश्न 4:—क्या अभियोजन यह साबित कर पाया, कि आपराधिक योजना के अनुक्रम में मृतका की अल्टो कार आर.जे. 14 सीए 4675 व मोटरसाईकिल नम्बर 14 वाईडी 1583 से रेकी की गई?

प्रश्न 5:—क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया, कि अभियुक्तगण के मध्य वास्तविक मीटिंग ऑफ माईण्ड्स थी?

<u>साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष</u> :—

17— उभय पक्षकारान् के तर्कों की रोशनी में यदि हम पत्रावली का अवलोकन करें, तो सर्वप्रथम न्यायालय को यह तय करना है कि:—

प्रश्न 1:—क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि अभियुक्त महेश ने अपनी पत्नी के नाम पर तथाकथित बीमा पॉलिसी करवाई, जिसका प्रीमियम उसी ने जमा करवाया तथा आर्थिक लाभ भी उसको मिलने वाला था, और क्या अभियोजन अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मोटिव को साबित करने में सफल रहा है?

18— इस संबंध में यदि हम पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें, तो इस संबंध में सर्वप्रथम पी.डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र कुमार अपने बयानों में कथन करते हैं कि दिनांक 05.10.2022 को सुबह करीब पॉच—छः बजे उसके पास पी.सी. आर. आई और पुलिस वालों ने पूछा कि मोटरसाईकिल नम्बर 5367 किसकी है और उनको बताया कि उस मोटरसाईकिल का हरमाड़ा थाने के पास एक्सीडेन्ट हो गया है। फिर वो एस.एम.एस. अस्पताल गये, जहॉ शालू की मृत्यु हो गई और राजू गंभीर हालत में था। तत्पश्चात मुर्दाघर गये, जहॉ शालू का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद वह उसकी बेटी की लाश को घर लेकर आ गये, फिर उसका उसके घर से दाह संस्कार किया। फिर उसी दिन विष्णु ने हरमाडा थाने में रिपोर्ट करवाई थी। उसके बाद यह गवाह कहता है कि दो—तीन दिन बाद पता चला कि दुर्घटना नहीं है, बल्कि हत्या हुई है। शालू की एक करोड़ नब्बे लाख रूपये की एल.आई.सी. करवाई थी, जो महेश और शालू ने मिलकर मालवीय नगर में करवाई थी। शालू ने उन्हें बताया था, कि उसका दस लाख रूपये का इन्श्योरेन्स उसके पति ने कराया है। शालू की एक करोड़ नब्बे लाख रूपये की एल.आई.सी. करवाई गई थी, एल.आई.सी. महेश व शालू ने मिलकर मालवीय नगर में करवाई थी। शालू ने उसे बताया था कि उसका दस लाख रूपये का इन्श्योरेन्स उसके पति ने करवाया है। फिर 15 दिन बाद में एल.आई.सी. द्वारा पता चला कि शालू और राजू का मर्डर हुआ है, जिसमें छः लोग शामिल है। सुपारी देकर मर्डर करवाया गया है। सुपारी में महेश चन्द ने साढे तीन लाख रूपये दिए है, शालू के गहने रखकर। पुलिस ने तफतीश की। पहले महेश चन्द को पकड़ा। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दस्तावेजात् प्रदर्श पी 1 उनके द्वारा थाना हरमाडा में हत्या बाबत् दी गई लिखित रिपोर्ट, मृतका शालू का पंचायतनामा प्रदर्श पी 2, मृतका शालू की रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 3, दिनांक 12.10.2022 को घटनास्थल का बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श पी 4

और फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल आर.जे. 14 केडी 5367 प्रदर्श पी 5 प्रदर्शित करवाये हैं।

19— जिरह में यह गवाह कहता है कि मुझे 55 दिन बाद एल.आई.सी. द्वारा पता लगा था। एल.आई.सी. वाले मुझसे पूछताछ करने आये थे। एल.आई.सी. वालों ने पूछा था, कि आपने इनकी एल.आई.सी. करवाई है क्या, मैंने कहा कि मैंने तो नहीं करवाई, फिर उन्होंने कहा कि शालू की एक करोड़ नब्बे लाख रूपये की एल.आई.सी. है। फिर वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने कहा कि फिर तो मर्डर हुआ है। फिर मैंने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवाई। मेरे पास इन्श्योरेन्स वाले लगातार आ रहे थे। मेरे पास क्लेम के चक्कर में आ रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि हस्ताक्षर कर दो, तो मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि एक करोड नब्बे लाख रूपये इन्श्योरेन्स के देने हैं, आपकी बेटी का सचमुच में एक्सीडेन्ट हुआ है क्या? इन्श्योरेन्स वालों ने मुझे एक कॉपी दी थी, फिर कहता है कि मुझे रिपोर्ट बताई थी, वह कॉपी मेरे पास नहीं है, थाने में होगी। मैंने प्रदर्श पी–01 रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एक्सीडेंट 05 अक्टूबर, 2022 को हुआ था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–01 मैं 2 माह बाद वकील साहब के पास गया था और मेरे वकील साहब ने कहा कि यह तो मर्डर है, उसके बाद यह प्रदर्श पी–01 रिपोर्ट मुझे मेरे वकील साहब ने बनाकर दी और तब यह प्रदर्श पी–01 रिपोर्ट मैंने थाने में दी थी। प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट मैंने दिनांक 02.12.2022 को दी थी। मैं घटनास्थल पर नहीं गया था, सीधे अस्पताल गया था। घटनास्थल पर कुछ नहीं मिला था, फिर कहा कि कैमरे की रिपोर्ट मिली थी और मैंने दूसरे दिन जाकर वो कैमरे की रिपोर्ट देखी थी। कैमरे मोटर गैरेज में लगा था। मैंने उसमें देखा कि रोड एकदम साफ था, फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया, परंतु मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे पुलिस में बयान हुए थे। मेरे पुलिस बयान कौनसी तारीख को हुए थे, मुझे याद नहीं है। मोटरसाईकिल मेरे बेटे विशाल की थी। प्रदर्श पी–05 में क्या लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी–04 पर मेरे हस्ताक्षर है, ये हस्ताक्षर मैंने कहां किए थे, मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–04 हरमाडा थाने पर बना था।

20— इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के अनुसार उसको एल.आई.सी. से फोन आने पर यह प्रकट होता है कि उसकी

बेटी का कोई इन्श्योरेन्स क्लेम है और उसके संबंध में जब वो अपने अधिवक्ता को बताते हैं, तो अधिवक्ता उन्हें यह जाहिर करते हैं, कि फिर तो इन्श्योरेन्स क्लेम लेने के लिये यह मर्डर है, जिस पर वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। गवाह के बयान में इन्श्योरेन्स पॉलिसी, मृतका का कोई फोन या ट्रांसक्रिप्ट अनुसंधान अधिकारी को दिया हो, या मृतका, अभियुक्त महेश चंद के कहने से तोतला वाले या पापड़ वाले हनुमानजी के यहाँ जात देने के लिये जाती हो, ऐसा कोई कथन भी नहीं आया है।

21— अब इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 29 दीक्षान्त शर्मा है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि दिनांक 18.11.2022 को वह असिस्टेन्ट मैनेजर लीगल, टाटा ए.आई.ए. लाईफ इन्श्योरेन्स के पद पर कार्यरत थे, इस दिन पुलिस थाना हरमाडा द्वारा शालू पत्नी महेश चंद की जीवन बीमा पॉलिसी का रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु तहरीर दी और पॉलिसी से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिस पर उनके द्वारा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज मय जवाब पत्र दिनांक 21.11.2022 पुलिस को उपलब्ध करवाये थे, जिसका विवरण प्रदर्श पी 65 है, जो कुल दो पृष्ठों में है। प्रपोजल फॉर्म कुल छः पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 66 है, जिसके प्रथम व अंतिम पेज पर ए से बी उनके हस्ताक्षर व सील अंकित है।

22— जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि यह सही है कि प्रदर्श पी 66 प्रपोजल फॉर्म है। प्रदर्श पी 66 प्रपोजल फॉर्म प्रस्तावक स्वयं ने भरा हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि कोई व्यक्ति प्रपोजल फॉर्म भरता है, तो उस पर बीमाधारी के हस्ताक्षर होते हैं। यह सही है कि जिसकी पॉलिसी की जाती है, उसके द्वारा प्रपोजल फॉर्म हस्ताक्षर होने पर वह पॉलिसी मान्य होती है। यह सही है कि प्रदर्श पी 66 के किसी भी पेज पर पॉलिसी लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं हैं और ना ही अंगूठा निशानी है। यह सही है कि जिस एजेन्ट से पॉलिसी ली, उसके भी हस्ताक्षर नहीं हैं। यह बात भी सही हे कि प्रदर्श पी 66 की प्राप्ति बाबत् रसीद भी पॉलिसी धारक को नहीं दी गई। यह सही है कि बीमाकर्ता का कोई मेडिकल किया हो, इस बाबत् भी मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 66 में जो फोटो लगी है, उसका मेरे द्वारा कोई सत्यापन नहीं किया, ना ही मैंने पुलिस से करवाया। यह कहना सही है कि पॉलिसी का बॉण्ड मेरे द्वारा उपलब्ध नहीं

करवाया, ना ही जब्त करवाया, ना ही पत्रावली में बॉण्ड शामिल है। गवाह स्वीकार करता है कि यदि कोई अधिक राशि की पॉलिसी करवाता है, तो उसका मेडिकल करवाना आवश्यक है, यह बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन होता है। इस बीमा धारक ने पहले से कोई बीमा कराया हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है। बीमाधारी की क्या इन्कम थी, इस संबंध में कोई दस्तावेज मेरे समक्ष नहीं हैं। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि बीमाधारक की आय के स्त्रोत के बारे में कोई सत्यापन किया गया या नहीं। बीमाधारक का बैंक स्टेटमेन्ट भी मेरे सामने पेश नहीं हुआ और ना ही उनकी जॉच की गई और यह स्वीकार करता है कि पॉलिसी के मूल बॉण्ड पर हस्ताक्षर भी नहीं किये। जो आई.डी. शामिल की गई, उस पर बीमाधारक व मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं।

23— अतः उक्त गवाह के बयानों के मुताबिक प्रदर्श पी 65 के अनुसार इन्श्योरेन्स करना बताता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि उक्त फॉर्म, अभियुक्त महेश की हस्तलिपि में हो, उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हों, ऐसा वो नहीं कहता। यहॉ तक कि उस फॉर्म पर मृतका के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। फॉर्म किसने भरवाया, उस एजेन्ट के भी हस्ताक्षर नहीं हैं और असल पॉलिसी बॉण्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में केवल दस्तावेज प्रदर्श पी 66 के आधार पर भी यह निष्कर्ष, कि उक्त इन्श्योरेन्स पॉलिसी अभियुक्त महेश ने कराई थी, ऐसा नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि पॉलिसी लेने के बाद प्रीमियम अभियुक्त ने जमा कराया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना में मृतका शालू की मृत्यु होने के पश्चात कोई क्लेम प्रस्तुत हुआ हो, यह गवाह ऐसा भी कोई कथन नहीं करता।

24— अब इस क्रम में अन्य महत्वपूर्ण गवाह अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल सिंह के बयानों का अवलोकन करें, तो यह गवाह कहता है कि उन्हें प्रकरण संख्या 539/2022 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 12506 दिनांक 18.11.2022 की पालना में मृतका शालू पत्नी महेश की टाटा ए.आई. की पॉलिसी नम्बर यू094918797 के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे, जो प्रदर्श पी 65 व प्रदर्श पी 66 हैं, जिसका पॉलिसी टर्म 40 साल

का था और प्रीमियम पेईंग 12 साल का था। प्रीमियम की राशि 29,406रूपये थी तथा स्पाउस नेम महेश चंद था। आगे अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहते हैं कि अनुसंधान में यह आया था कि महेश की शादी मृतका के साथ वर्ष 2015 में हुई थी और 2017 में महेश ने शालू को घर से निकाल दिया था। वर्ष 2019 में शालू ने महिला थाना, पश्चिम में महेश के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कराया था, तत्पश्चात 2022 में महेश चंद वापस शालू के घर गया और उसे घर ले जाना चाहता है, कहने लगा, तो शालू और महेश चंद आपस में बातचीत करने लगे और महेश ने अपनी साजिश के तहत मृतका शालू को कहा कि मैं मेरा बीमा करवाऊँगा, जिसमें यदि मुझे कुछ हो जाता है, तो तुझे पैसे मिलेंगे, यह कहकर महेश ने मृतका शालू की मई 2022 में इन्श्योरेन्स पॉलिसी करवाई थी और इस प्रकार महेश साजिशन शालू की बीमा पॉलिसी करवाकर स्वयं नॉमिनी हो गया और तत्पश्चात अपने जानकार मुकेश सिंह राठौड़ से सम्पर्क करके पूरी योजना बनाई।

25— जिरह में यह गवाह कहता है कि मैंने शालू के बीमा का मूल बॉण्ड या पॉलिसी जब्त नहीं की। यह भी स्वीकार करता है कि बीमा कम्पनी से भी कोई मूल बॉण्ड या पॉलिसी की प्रति प्राप्त नहीं की। यह भी स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 66 प्रपोजल फॉर्म पर बीमाकर्ता के रूप में किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रपोजल फॉर्म किस व्यक्ति ने किया था, मैंने कोई जॉच नहीं की। यह भी स्वीकार करता है कि बीमा कम्पनी के उस कर्मचारी के भी बयान नहीं लिये, जिसने बीमा फॉर्म में बीमा कम्पनी की सील अंकित कर साईन किये थे। यह भी स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 66 पर केवल प्रथम व अंतिम पेज पर ही हस्ताक्षर और सील अंकित हैं, बीच के चारों पेजों पर नहीं है। यह भी स्वीकार करता है कि बीमा के संबंध में कोई बयान भी लेखबद्ध नहीं किये और ना ही बीमा कम्पनी से इतनी बड़ी राशि का बीमा करवाने के संबंध में कोई मेडिकल जॉच, कोई बैंक खाते की जॉच करवाये जाने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की। बीमा कम्पनी ने बीमाधारक का मेडिकल कराया हो, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया। बीमा करते समय बीमाधारक के अलावा वहॉ पर कौन—कौन मौजूद था, इस संबंध में मैंने कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त नहीं की, ना ही कोई जॉच की, ना ही

कोई स्वतंत्र गवाह के बयान लिये। बीमा कम्पनी ने प्रपोजल लैटर का कोई वेरीफिकेशन किया हो, इस संबंध में भी मैंने कोई जॉच, पूछताछ नहीं की।

26— अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन ने अपनी कहानी के समर्थन में मूल बॉण्ड या पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पॉलिसी अभियुक्त महेश ने करवाई हो, इसके संबंध में ना तो प्रपोजल फॉर्म पर उसकी हस्तलिपि या हस्ताक्षर होने के संबंध में कोई बयान हैं, ना ही ऐसे किसी एजेन्ट के बयान हैं, जो यह कहे, कि यह पॉलिसी महेश के द्वारा अपनी पत्नी के हक में कराई गई हो। यह भी उल्लेखनीय है कि यह पॉलिसी मृतका की हो, तो इस संबंध में फोटो का कोई वेरीफिकेशन नहीं है तथा ना ही कोई प्रपोजल फॉर्म का ही वेरीफिकेशन है। मृतका का कोई मेडिकल नहीं है। प्रदर्श पी 66 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह भी प्रकट होता है कि इस पर ना तो प्रस्तावक (Proposer) और ना ही बीमित व्यक्ति (Life Assured) की कोई अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 66 में Nominee details के सन्दर्भ में भी फॉर्म में यह अंकित है, कि "Nominee details required only if proposer & life Assured are same." तथा Nominee details में अभियुक्त महेश चंद का नाम अंकित है, इससे भी यह प्रकट होता है कि अभियुक्त महेश चंद प्रस्तावक (Proposer) नहीं था। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के यह तर्क पूर्णतः सही हैं कि अभियोजन तो सर्वप्रथम यही साबित करने में असफल रहा है कि विवादित बीमा पॉलिसी अभियुक्त महेश द्वारा ही कराई गई थी और उसका प्रीमियम भी उसी ने जमा कराया था और उसका लाभ भी उसी को मिलने वाला था।

प्रश्न 2:— क्या अभियोजन यह साबित कर पाया, कि योजना के अनुसार अभियुक्त महेश चंद ने अपनी पत्नी मृतका शालू को ग्यारह बार हनुमानजी की जात देने के लिये कहा और मृतका तोतला वाले हनुमानजी जाने लगी, परन्तु वहॉ पर हत्या करना संभव नहीं होने से अभियुक्त महेश चंद ने उसे सामोद वाले हनुमानजी जाने को कहा ?

27— अब इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें, तो गवाह पी.डब्ल्यू.4 अभिषेक शर्मा ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 29.11.2022 को राजेन्द्र कनोजिया ने उससे ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन एवं

65 बी के प्रमाण पत्र के लिए सम्पर्क किया था। पैन ड्राइव उसे राजेन्द्र जी ने दिया था। सभी रिकॉर्डिंग उसने पैन ड्राइव से प्राप्त की थी। राजेन्द्र कनोजिया द्वारा सिर्फ वार्ताकर्ता का नाम ऑडियो की दिनांक, समय एवं मोबाईल नम्बर बताया गया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग की इस्पेक्टोग्राफी जॉच में रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं पाने पर ही ट्रांसक्रिप्शन तैयार की थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग 13 मिनट 30 सैकण्ड की है, जिसके ट्रांसक्रिप्शन कुल 5 पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 07 के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर स्थान पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर सील अंकित है। दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग 17 मिनट 25 सैकण्ड की है, जिसके ट्रांसक्रिप्शन कुल 6 पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 08 के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर सील अंकित है। तीसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 मिनट 35 सैकण्ड की है, जिसके ट्रांसक्रिप्शन कुल 2 पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 09 के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर सील अंकित है। पैन ड्राईव आर्टिकल 1 है। उक्त ट्रांसक्रिप्शन बाबत उसके द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र व कवरिंग लेटर दिया गया था, जो प्रदर्श पी 10 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

28– इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि मैंने जो ट्रांर्साक्रिप्शन का डाटा मैंने पैन ड्राईव से प्राप्त किया था। वो डेटा मुझे राजेन्द्र कनोजिया ने दिया था। मैंने राजेन्द्र कनोजिया की आईडी मैंने नही देखी। अगर आज राजेन्द्र कनोजिया आ जाये, तो मैं आज पहचान पाना मुश्किल है क्योकि लगभग दो साल का समय हो गया है। जिस डाटा की ट्रांर्साक्रिप्शन मैंने बनाई है उसका मूल डाटा मोबाईल है जिसकों मैंने नही देखा। डाटा किस मोबाईल से प्राप्त किया ये मुझे पता नही है। जो रिकॉर्डिंग मुझे दी है वो कॉल रिकॉर्डिंग है वाट्सएप्प कॉल रिर्कोडिंग नही है। जिनकी रिकॉर्डिंग थी, वो आपस में अपने नाम नही ले रहे थे। जो नाम मैंने ट्रांर्साक्रिप्शन में लिखे है वो नाम मुझे राजेन्द्र कनोजिया ने बताये थे। पैन ड्राईव से जो मैंने रिर्कोडिंग ली है उससे कोई छेडछाड नही की गई थी। यह सही है कि कॉल रिकॉर्डिंग के ट्रांर्साक्रिप्शन में वार्ताकर्ता का नाम मुझे राजेन्द्र कनोजिया ने बताया था, और ये रिर्कोडिंग और किसी की भी हो सकती है। जो मैंने धारा

65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया है उसको जारी करने का ऑथेंटिक प्रमाण पत्र अथवा अनुभव प्रमाण पत्र मेरे पास है परन्तु पत्रावली में संलग्न नही है। राजेन्द्र कनोजिया मेरे पास दो बार आये थे। पहली बार पैन ड्राईव देने आये थे और दुसरी बार ट्रांर्सक्रिप्शन व 65 बी का प्रमाण पत्र लेने आये थे। इसके अलावा वे कभी नही आये। राजेन्द्र कनोजिया ने मुझे ये बताया था कि हरमाडा थाने में एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज है, जिसके संबंध में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। प्रदर्श पी 10 जो सर्टिफिकेट दिया है उस केस के संबंध में मेरे द्वारा कोई जानकारी का अंकन नही है। शालू और महेश की मूल आवाज का नमूना मेरे द्वारा नही लिया गया। ट्रांर्सक्रिप्शन में जो मोबाईल नम्बर दिये गये है वो राजेन्द्र कनोजिया के द्वारा दिये गये है। मोबाईल नम्बर जो मुझे दिये गये थे वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है उसके बारे में मुझे जानकारी नही है। ट्रांर्सक्रिप्शन मैं खुद तैयार करता हूँ।

29— इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 के बयानों का अवलोकन करें, तो वह कथन करते हैं कि दिनांक 04.12.2022 को मृतका शालू के पिता राजेन्द्र कनोजिया ने चार शील्डशुदा ऑडियो सीडी ट्रांर्सक्रिप्ट में सायबर विशेषज्ञ का धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया। जिसका अवलोकन किया गया तो मृतका शालू के मोबाईल नम्बर 6375871052 व 9829348952 से आपस में हुई वार्तालाप का रिकार्डिंग अवधि का विवरण है। जिसमें मृतका व आरोपी महेश चन्द्र के बीच दिनांक 27.09.2022 की पांच पेंज की ट्रांर्सक्रिप्ट दिनांक 30.09.2022 दो पेंज की ट्रांर्सक्रिप्ट तथा दिनांक 04.10.2022 छः पेज की ट्रांर्सक्रिप्ट थी। जिसमें दिनांक 27.09.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट में आरोपी महेन्द्रचन्द्र मृतका शालू को धमका रहा है तथा कह रहा है कि तू तेरे भाई बिट्टू के साथ मोटरसाईकिल पर सामोद वीर हनुमान जी के आने का दबाव डाल रहा है। इस पर मृतका बिट्टू को मोटरसाईकिल अच्छे से नही चलाना आती कहती है। इस पर महेशचन्द्र गाली गलौच करता है। दिनांक 30.09.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट में भी महेशचन्द्र मृतका शालू को धमका रहा है और कह रहा है कि तू उसके लिये कुछ नही कर सकती, तुझे सुबह जल्दी मंदिर जाना है पर तू सात आठ बजे मंदिर जाती है। दिनांक 04.10.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट में भी महेशचन्द्र मृतका शालू को अपने साथ रखने के लिए कह रहा है, वह उसको दिनांक 05.10.

2022 को सुबह जल्दी आने के लिए कह रहा है व रवाना होते समय मैसेज करने के लिए कह रहा है। उपरोक्त शील्डशुदा चार डीवीडी को प्रकरण में जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है और मालखाने में रखवाया गया है तथा ट्रांर्सक्रिप्ट व साईबर विशेषज्ञ का धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया है। जिसकी फर्द जप्ती एवं फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी 25 है। जिस पर ए से बी व सी से डी भाग पर गवाहान के हस्ताक्षर है व ई से एफ भाग पर पेशकर्ता राजेन्द्र के हस्ताक्षर है व जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.09.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट प्रदर्श पी 07 है। जो कुल पांच पेंज में है। दिनांक 30.09.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट प्रदर्श पी 09 है। जो कुल दो पेज में है। दिनांक 04.10.2022 की ट्रांर्सक्रिप्ट प्रदर्श पी 08 है। जो कुल छः पेंज में है। साईबर विशेषज्ञ अभिषेक शर्मा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण प्रदर्श पी 10 है। जो कुल दो पृष्ठों में है। उसी दिन मृतका के पिता राजेन्द्र कनोजिया ने एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का पेश कर बताया कि ये मेरी पुत्री शालू का है। जो दिनांक 05.10.2022 को घटना स्थल पर पडा मिला था। जिस पर राजेन्द्र कनोजिया ने बताया कि उक्त मोबाईल में मृतका व आरोपी महेशचन्द्र के बीच हुई वार्ता की कॉल रिकॉर्डिंग है। जिस पर मोबाईल फोन का अवलोकन किया गया तो मृतका के उक्त मोबाईल में दो सिम थी। जिसमें 6375871052 से कॉलिंग होती थी तथा दूसरी सिम 7742082036 से वाट्सअप चैट हो रखी थी लेकिन चैक करने पर वाटसअप लॉक नही खुला व कॉल रिकार्डिंग को चैक किया गया। जिसमें आरोपी महेशचन्द्र के मोबाईल नम्बर 9829348952 को KUHU नाम से सेव था। जिसमें मृतका व महेशचन्द्र के बीच काफी सारी कॉल रिकार्ड थी और मोबाईल की गैलेरी में काफी सारी फोटोज थी। मोबाईल को जरिये फर्द जप्त किया जाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 26 है। जिस पर ए से बी व सी से डी भाग पर गवाहों के हस्ताक्षर है व ई से एफ पेशकर्ता राजेन्द्र कनोजिया के हस्ताक्षर है व जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दिनांक 04.12.2022 को आरोपी महेशचन्द्र के गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में मिले मोबाईल को मालखाना से निकलवा कर अवलोकन किया गया तो मोबाईल सेमसंग कम्पनी का स्क्रीन टच पुराना इस्तमाली था। जिसके सिम नम्बर 9829348952 थे। जिसमें

मृतका शालू के नम्बर SHALU के नाम से सेव थे तथा आरोपी मुकेश सिंह व सोनू सिंह के नम्बर भी उनके नाम से सेव थे। इन नम्बरों की महेशचन्द्र के उक्त वाटसअप नम्बर से चैट हो रखी थी। जोकि डिलीट की हुई थी। उपरोक्त मोबाईल फोन से मृतका शालू, मुकेश सिंह व सोनू से डिलीटशुदा चैट का स्क्रीनशॉट लेकर शामिल पत्रावली किया गया। महेशचन्द्र के फोन से मृतका शालू आरोपी मुकेश सिंह व सोनू सिंह को किये गये मैंसेज तथा फोटो रिकवरिंग हेतु उक्त मोबाईल को एफएसएल परीक्षण हेतु जरिये फर्द जप्त किया जाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्डमोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 24 है। जिस पर ए से बी व सी से डी भाग पर गवाहान के हस्ताक्षर है व ई से एफ आरोपी महेशचन्द्र के हस्ताक्षर है तथा जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

30— अब इस संबंध में मृतका के पिता पी.डब्ल्यू. 1 के बयानों में पूर्व में यह तो स्पष्ट किया जा चुका है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राजेन्द्र अपने बयानों में मृतका अभियुक्त महेश चंद के कहने पर तोतला वाले या पापड़ वाले हनुमानजी की जात देने जाती हो, इसके संबंध में कोई कथन नहीं किया। गवाह राजेन्द्र ने अपने बयानों में कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राईव, ट्रांर्साक्रिप्ट या धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र दिया हो, ऐसा भी कोई कथन नहीं करता। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 के मुताबिक राजेन्द्र को फोन घटनास्थल पर मिला था, जबकि गवाह राजेन्द्र पी. डब्ल्यू. 1 अपनी जिरह में घटनास्थल पर जाने से ही मना करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 4 के बयानों के मुताबिक उसने ट्रांर्साक्रिप्ट राजेन्द्र के द्वारा दी गई पेन ड्राईव से बनाई थी। उसने ना तो राजेन्द्र की आई.डी. देखी, ना उसका मूल डेटा, मोबाईल में था, जो किस मोबाईल से प्राप्त किया, पता नहीं होना जाहिर करता है और यह भी स्वीकार करता है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग किसी की भी हो सकती है। अनुसंधान अधिकारी अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 9 की ट्रांसक्रिप्ट या शालू के मोबाईल की कोई एफ.एस.एल. जॉच नहीं करवाई। इन परिस्थितियों में ऑडियो रिकॉर्डिंग में आवाज मृतका और अभियुक्त महेश चंद की हो, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण आईडेन्टिफिकेशन नहीं है और ऑडियो रिकॉर्डिंग की

पेन ड्राईव जिस मोबाईल से बनाया जाना कहते हैं, उसकी कोई एफ.एस.एल. जॉच नहीं है, तो यह दस्तावेज प्रदर्श पी 7 लगायत प्रदर्श पी 9 विधिसम्मत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित नहीं हुए हैं, ना ही मोबाईल फोन की चेन ऑफ कस्टडी सुरक्षित और विश्वसनीय प्रकट होती है। इन परिस्थितियों में अभियोजन यह तथ्य भी सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त महेश चंद ने आपराधिक षड़यंत्र के अनुकरण में अपनी पत्नी को हनुमानजी की जात देने के लिये कहा और मृतका तोतला वाले हनुमानजी जाने लगी, परन्तु वहॉ पर हत्या करना संभव नहीं होने से अभियुक्त महेश चंद ने उसे सामोद वाले हनुमानजी जाने को कहा।

प्रश्न 3:—क्या अभियोजन यह साबित कर पाया है कि मृतका और उसके भाई राजू की मोटरसाईकिल को राकेश की सफारी गाड़ी आर.जे. 14 यूसी 7615 से टक्कर मारकर हत्या कारित की गई?

31— इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू. 35 हरिपाल सिंह ही है। उनके बयानों का अवलोकन किया जावे, तो वह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि **महेश चंद**, साजिशन पॉलिसी शालू के नाम करवाकर वह नॉमिनी हो गया और उसके पश्चात अपने जानकार मुकेश सिंह राठौड़ से सम्पर्क कर पूरा योजना बताई व **दस लाख रूपये में सौदा तय** किया, जिसमें पॉच लाख रूपये मुकेश को नकद दे दिये। योजना के अनुसार मुकेश सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ शालू को एक्सीडेन्ट कर के मारने की योजना बनाई, जिसके अनुसार महेश चंद ने शालू को मोटरसाईकिल पर 11 बार पापड़ वाले हनुमान जी जाने के लिये कहा था। शालू हर मंगलवार को पापड़ वाले बालाजी के जाने लगी, तब महेश चंद उसकी **रेकी करता था** तथा मुकेश सिंह ने अपने अन्य साथियों सोनू सिंह, प्रमोद कुमार, महेन्द्र सिंह तथा राकेश बैरवा के साथ **प्रमोद की कार से उसका पीछा** किया था, लेकिन दुर्घटना की घटना बनाने के लिये आरोपीगण को उपयुक्त मौका नहीं मिलने पर मुकेश सिंह ने महेश चंद को बताया, कि यह कार्य यहॉ पर नहीं हो सकता, जिस पर महेश चंद ने शालू को मोटरसाईकिल पर सुबह जल्दी **सामोद हनुमानजी** जाने के लिये तैयार किया। उनका तर्क है कि इसकी पुष्टि महेश के मोबाईल नम्बर 9829348952 व मृतका के मोबाईल नम्बर 6375871052 की आपसी रिकॉर्डिंग की नकल प्रदर्श पी 8 व प्रदर्श पी 9 से होती है। उसके पश्चात दिनांक 04.10.2022 को

महेश ने मुकेश सिंह राठौड़ को सी–2 प्लाजा मालवीय नगर पर बुलाकर बताया, कि दिनांक 05.10.2022 को मृतका शालू अपने बुआ के लड़के राजू के साथ मोटरसाईकिल पर सुबह जल्दी सामोद हनुमान जी जाएगी। **वो रवाना होगी, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा।** इस बात पर मुकेश सिंह ने अपने अन्य साथी राकेश कुमार, महेन्द्र सिंह, सोनू सिंह तथा प्रमोद कुमार को सी–2 प्लाजा पर बुलाकर योजना बनाई, कि दिनांक 05.10.2022 को राकेश कुमार बैरवा की गाड़ी सफारी से सीकर रोड पर रूककर जैसे ही महेश चंद, शालू व राजू के जाने का इशारा करेगा, तब सफारी गाड़ी से उनका पीछा करके, सुनसान जगह शालू व राजू के टक्कर मारनी है। सफारी **गाड़ी महेन्द्र सिंह चलाएगा** व मुकेश सिंह, प्रमोद कुमार व राकेश बैरवा गाड़ी में रहेंगे, **सोनू सिंह अपनी गाड़ी अल्टो से पीछे–पीछे चलेगा।** टक्कर मारने के बाद अगर गाड़ी रूक जाती है, तो प्रमोद अपनी गाड़ी से आरोपीगण को वहॉ से ले जाएगा। दिनांक 05.10.2022 को सुबह **चार बजे** के आसपास **महेश चंद** ने **मुकेश सिंह को फोन कर बताया,** कि शालू व राजू रवाना होने वाले हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ व महेश चंद भी सीकर रोड पर मुकेश सिंह वगैरह रूके हुए थे, उस होटल के बाहर आ गया, जहॉ पर मुकेश सिंह, प्रमोद कुमार तथा महेन्द्र सिंह भी होटल के बाहर आ गये थे व सोनू सिंह भी अपनी कार लेकर वहॉ पर पहुॅच गया था, तब शालू व राजू मोटरसाईकिल से वहॉ से निकले, तब महेश चंद ने मुकेश सिंह को बताया, तो मुकेश सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार व राकेश बैरवा की सफारी गाड़ी से मोटरसाईकिल के पीछे–पीछे रवाना हो गये, उनके पीछे **महेश चंद अपनी मोटरसाईकिल** से व सोनू सिंह अपनी कार से रवाना हो गये थे। हरमाड़ा घाटी के पास सुनसान जगह पर महेन्द्र सिंह ने कार को तेज चलाकर राजू की मोटरसाईकिल के पीछे से जोरदार मार दी, जिससे राजू व शालू वहीं गिर पड़े तथा **सफारी गाड़ी वहीं रूक गई।** उसके बाद सोनू की कार में उक्त तीनों आरोपीगण वहॉ से चले गये।

32– अब इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में आये तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों के संबंध में, कि क्या वाकई में ताईद होती है, इसका अवलोकन करें, तो सर्वप्रथम मृतका के वो सफारी गाड़ी से टक्कर मारना कहते हैं और इस संबंध में वो दुर्घटना का सी.सी.टी.वी. फुटेज होना भी कहते

हैं, परन्तु यह स्वीकार करते हैं कि दुर्घटना के सी.सी.टी.वी. फुटेज में वाहन का नम्बर नहीं दिखाई दे रहा है। यह भी स्वीकार करते हैं कि दुर्घटना के सी.सी.टी.वी. में सफेद रंग का वाहन दिख रहा है, वह किस प्रकार का वाहन है, यह नहीं दिखाई दे रहा है। सी.सी.टी.वी. में वाहन कौन चला रहा था, कितने लोग बैठे हैं, यह नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन एक्सीडेन्ट के पश्चात चलने की स्थिति में नहीं था, जिसे मौके से पुलिस ने जब्त किया था। यह गवाह स्वीकार करते हैं कि मौके से जब्त करते समय सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त नहीं की।

33— अब यह उल्लेखनीय है कि सी.सी.टी.वी. फुटेज को जब न्यायालय में चलाकर देखा गया, तो यह नोट अंकित किया गया, कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में दिखने वाली गाड़ी का मेक, किस कम्पनी की है, कौनसा मॉडल है, ऐसा स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ना ही उसके नम्बर अंकित हैं और अनुसंधान अधिकारी के मुताबिक वह गाड़ी सफारी गाड़ी थी और दुर्घटना के पश्चात बंद होकर वहीं घटनास्थल पर खड़ी थी।

34— इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 34 जगदीश प्रसाद, जिन्होंने दुर्घटना होने बाबत् तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 दर्ज होने पर अनुसंधान किया। वह अपने बयानों में कथन करते हैं कि दिनांक 05.10.2022 को वह हरमाड़ा में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जब प्रकरण संख्या 539/2022 का अनुसंधान उनके जिम्मे किया था। उन्होंने घायल शालू को एस.एम.एस. अस्पताल के लिये भर्ती कराया और राजू को दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिर उन्हें टेलीफोन से सूचना मिली, कि शालू की एस.एम.एस. में मृत्यु हो गई है, जिस पर वह एस.एम. अस्पताल मुर्दाघर पहुँचा, जहॉ परिजन मौजूद मिले। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिये तहरीर दी तथा बाद पोस्टमार्टम शालू की लाश प्राप्त कर परिजन को दी जाकर रसीद पर हस्ताक्षर लिये। इतने में थाने से जरिये मोबाईल सूचना मिली, कि दुर्लभजी अस्पताल में दौराने इलाज राजू की मृत्यु हो गई है, जिस पर एस.एम.एस. अस्पताल से रवाना होकर दुर्लभजी अस्पताल पहुँचकर मृतक राजू की लाश प्राप्त कर कांवटिया अस्पताल पहुँचकर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिये तहरीर देकर राजू की लाश बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु परिजन को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की। **गवाह आगे कहते हैं कि दुर्घटना कारित**

करने वाले वाहन टाटा सफारी नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 7615 को घटना कारित करने के समय से ही हरमाड़ा चैक पोस्ट पर खड़ी की थी, जिसको दिनांक 07.10.2022 को प्रकरण में जब्त किया और दिनांक 12.10.2022 को मृतक के परिजनों की उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन मृतक की मोटरसाईकिल, जो घटना के समय ही चैक पोस्ट पर खड़ी थी, उसका निरीक्षण कर फर्द सुपुर्दगी तैयार कर परिजनों को सुपुर्द की।

35— जिरह में यह स्वीकार करता है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 40 के जरिये जो टाटा सफारी जब्त करना बताया है, वह प्रदर्श पी 4, अर्थात् नक्शा मौका में अंकित 'एक्स' मार्क से जब्त की थी। यह सही है कि टाटा सफारी को जब्त करने के बाद भी पंजीकृत स्वामी को धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस जारी नहीं किया। यह सही है कि टाटा सफारी की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 42 मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई। प्रदर्श पी 40 टाटा सफारी की फर्द जब्ती हरमाडा चैक पोस्ट पर की थी और घटनास्थल सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2022 को गया था। घटनास्थल पर ऐसा कोई गवाह नहीं मिला, जिसने मुझे यह बताया हो कि टाटा सफारी से दुर्घटना कारित हुई हो।

36— अब इस क्रम में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल के बयानों का अवलोकन करें, तो वह खुद अपने बयानों में स्वीकार करता है कि दुर्घटना के सी.सी.टी.वी. फुटेज में वाहन के नम्बर नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल सफेद रंग का वाहन दिख रहा है। सी.सी.टी.वी. फुटेज में जो दो व्यक्ति हैं, वो राजू और शालू हों, इस बाबत् मैंने कोई पहचान नहीं कराई। यह भी स्वीकार करते हैं कि सफेद टाटा सफारी वाहन दिनांक 04.10.2022 को रात्रि को व दिनांक 05.10.2022 की सुबह होटल शेखावाटी हवेली में खड़ी थी, इस बाबत् भी कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मेरे अनुसंधान में नहीं आया। मैं यह भी नहीं बता सकता, कि परिवादी द्वारा टाटा सफारी कार को घटनास्थल पर देखा हो। घटनास्थल पर घटना के बाद सफारी गाड़ी खड़ी थी, ऐसा किसी भी गवाह ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में नहीं कहा। यह भी स्वीकार करता है कि टाटा सफारी गाड़ी का घटना से पूर्व होटल शेखावाटी हवेली आना, उसके पश्चात राजमार्ग तक

जाने का कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज मैंने अनुसंधान से प्राप्त नहीं किया, ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों के आधार पर यह तो प्रकट होता है कि एक सफेद रंग की गाड़ी ने दुर्घटना कारित की, परन्तु वो गाड़ी अभियुक्तगण में से किसी की थी, इस संबंध में गाड़ी के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं हैं। वह गाड़ी अनुसंधान अधिकारी के कहे मुताबिक जिस शेखावाटी होटल में या सी–2 प्लाजा में उन्होंने षड़यंत्र की योजना बनाई, वहॉ पर आसपास देखी हो, ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य या सी.सी.टी.वी. फुटेज नहीं है। वह गाड़ी शेखावाटी होटल से दुर्घटना कारित की, वहॉ के रास्ते में देखी गई हो और उसमें अभियुक्तगण बैठे दिख रहे हों, ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य व सी. सी.टी.वी. फुटेज नहीं है। वही गाड़ी दुर्घटना कर के दुर्घटना स्थल पर ही रूक गई हो और किसी ने दुर्घटना के पश्चात उसको हरमाड़ा चौकी खड़ा कर दिया हो, तो उस व्यक्ति के भी बयान नहीं है। उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि वाहन टाटा सफारी की बरामदगी, जब्ती व Chain Of Custody, घटनास्थल से वाहन किसने हटाया, कहॉ रखा और पुलिस तक कैसे पहुॅचा, अभियोजन इसकी पूर्ण श्रंखला भी साबित नहीं कर पाता।

37– यहॉ न्यायालय यह भी उल्लेख करना चाहता है कि सर्वप्रथम दुर्घटना की जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 दी गई थी, उसमें यह अंकित है कि ''दिनांक 05.10.2022 को समय सुबह के करीब 5.45 बजे मेरा भांजा राजू, उम्र 27 वर्ष पुत्र भैरू, निवासी 135 शेखावाटी नगर रोड नम्बर 5 के सामने मुरलीपुरा, जयपुर तथा मेरी भतीजी शालू उम्र 29 वर्ष, निवासी सी–341, मस्जिद के सामने मुरलीपुरा, जयपुर अपनी मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 14 केडी 5367 से मुरलीपुरा से सामोद हनुमानजी के जा रहे थे'' जिससे प्रकट होता है कि दुर्घटना वाले दिन रिपोर्ट दर्ज करवाते समय मृतका शालू व राजू का घर से सुबह समय 5.45 बजे निकलना बताया। इस संबंध में प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 34 अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 12 में समय 5.45 ए.एम. बताया है तथा प्रदर्श डी 2 तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता विष्णु के बयानों में समय 4.45 ए.एम. बताया है, इस संबंध में समय की जॉच नहीं की, ना ही तफ्तीश की। मृतका का घर से घटनास्थल आने पर पॉच से सात मिनट लग सकते हैं। अतः उक्त गवाह के

बयानों से मृतका के घर से निकलने का समय 4.45 बजे भी मान लिया जावे, तो भी सी.सी.टी.वी. फुटेज में प्रदर्श पी 36 के मुताबिक दुर्घटना समय 4:38:30 ए.एम. पर होना प्रकट होता है।

38— यह भी उल्लेखनीय है कि यह सी.सी.टी.वी. फुटेज भी दुर्घटना स्थल के पास बने सत्यनारायण गैराज से प्राप्त करना आया है, परन्तु इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 34 जगदीश प्रसाद यह स्वीकार करते हैं कि दुर्घटना के पश्चात उन्होंने दुर्घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 बनाया था। वह जिरह में स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 4 सत्यनारायण बोहरा की दुकान/वर्कशॉप को नहीं दर्शाया हुआ है।

39— यह भी उल्लेखनीय है कि तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला व निशानदेही से दुर्घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 27, प्रदर्श पी 27, प्रदर्श पी 31, प्रदर्श पी 67 बनाना बताते हैं, उस फर्द में भी सत्यनारायण पी.डब्ल्यू. 19 की वर्कशॉप नहीं दर्शाई हुई है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 67 में सत्यनारायण बोहरा की दुकान को नहीं दर्शाया, सत्यनारायण बोहरा को सी.सी.टी.वी. फुटेज के लिये कोई नोटिस नहीं दिया। फुटेज को डी.वी.आर. से पेन ड्राईव में खुद सत्यनारायण लेकर आया था, जिसकी किसी विशेषज्ञ से जॉच नहीं करवाई, ना ही एफ.एस.एल. हेतु भेजा। मृतका शालू तथा राजू को दुर्घटना के बाद अस्पताल कौन लाया, मैंने उसके बयान नहीं लिये। यह भी स्वीकार करते हैं कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में गाड़ी में टक्कर मारने के पश्चात दूसरी गाड़ी आई, जो एक व्यक्ति के ऊपर से निकल कर वहॉ थोड़ी देर रूकी थी, मैंने उस गाड़ी के बारे में अनुसंधान नहीं किया। उक्त गाड़ी चालक ने थाने या कन्ट्रोल रूम पर कोई सूचना दी हो, तो अनुसंधान नहीं किया। सी.सी.टी.वी. फुटेज में जो व्यक्ति है, वह राजू और शालू हों, मैंने इस बाबत् कोई पहचान नहीं करवाई। इन सब तथ्यों के मध्यनजर अभियोजन के द्वारा जो दुर्घटना से संबंधित सी.सी.टी.वी. फुटेज प्रस्तुत की गई है, वह मृतका शालू व राजू की हो, ऐसा भी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 4:—क्या अभियोजन यह साबित कर पाया, कि आपराधिक योजना के अनुक्रम में मृतका की अल्टो कार आर.जे. 14 सीए 4675 व मोटरसाईकिल नम्बर 14 वाईडी 1583 से रेकी की गई?

प्रश्न 5:—क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया, कि अभियुक्तगण के मध्य वास्तविक मीटिंग ऑफ माईण्ड्स थी?

40— इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने बयानों में यह स्पष्ट करते हैं कि अभियुक्तगण ने मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचा, इस निष्कर्ष पर वो कैसे पहुॅचे। इसके लिये अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि उन्हें पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। उन्होंने अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया और पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 12505 की पालना में मृतका शालू पत्नी महेश की टाटा ए.आई. इन्श्योरेन्स पॉलिसी नम्बर यू094918797 के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये, जो प्रदर्श पी 65 व प्रदर्श पी 66 हैं। यह उल्लेखनीय है कि इसके क्रम में पूर्व में विवेचन किया जा चुका है। यह गवाह आगे कहते हैं कि तत्पश्चात उन्होंने प्रकरण में संदिग्ध मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल प्राप्त करने के लिये डी.सी.पी. को पत्र जारी किया और आरोपी महेश चंद, आरोपी मुकेश, आरोपी राकेश और सोनू सिंह, महेन्द्र सिंह और राकेश बैरवा की कॉल डिटेल और सिम उपयोगकर्ता की डिटेल प्राप्त कर एक फर्द विश्लेषण बनाई, जिससे उन्हें यह प्रकट हुआ कि मृतका शालू आरोपी महेश चंद से लगातार सम्पर्क में थी। दिनांक 01.10.2022 से लेकर 04.10.2022 तक उनके नम्बरों पर 61 बार वार्ता हुई। आरोपी मुकेश और महेश चंद की भी कई बार वार्ता हुई। दिनांक 04.10.2022 और 05.10.2022 को घटना के समय पॉच बार वार्ता हुई और दिनांक 04.10.2010 को कॉल लोकेशन मालवीय नगर औद्योगिक एरिया के आसपास थी और दिनांक 05.10.2022 को समय 4 बजकर 2 मिनट पर लोकेशन जामडोली के आसपास थी और समय 4 बजकर 50 मिनट से 5 बजकर 4 मिनट प्रातः तक लोकेशन वी.के.आई. रोड की रेंज पर थी, जो घटनास्थल के पास है। इसी प्रकार आरोपी मुकेश की भी दिनांक 04.10.2022 को अन्य आरोपी सोनू सिंह के साथ कुल छः बार वार्ता हुई। आरोपी राकेश के साथ दिनांक 04.10.2022 को ग्यारह बार वार्ता हुई। आरोपी महेन्द्र के साथ मुकेश की दिनांक 04.10.2022 व 05.10.2022 को चौदह बार वार्ता हुई। प्रमोद के

साथ आरोपी मुकेश की दिनांक 04.10.2022 और 05.10.2022 को कुल ग्यारह बार वार्ता हुई। इस प्रकार मुकेश की अन्य आरोपीगण महेश चंद, सोनू सिंह उर्फ सोनू कुमार, राकेश बैरवा, महेन्द्र सिंह और प्रमोद के साथ दिनांक 04.10.2022 व 05.10.2022 को वार्ता हुई और उनकी लोकेशन मालवीय नगर औद्योगिक एरिया के आसपास रही है और दिनांक 05.10.2022 को उनकी घटना से पहले घटनास्थल के आसपास और घटना के समय वी.के.आई. रोड, जयपुर लोकेशन रहीं थी। इसके संबंध में गवाह ने दस्तावेज प्रदर्श पी 38 लगायत प्रदर्श पी 79 प्रदर्शित करवाये हैं, जिसमें अभियुक्तगण की कैफ आई. डी., मोबाईल लोकेशन, धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।

41— अब इस क्रम में यदि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल सिंह की जिरह का अवलोकन करें, तो कॉल रिकॉर्ड के संबंध में गवाह जिरह में स्वीकार करते हैं कि यह कहना सही है कि मोबाईल कम्पनी द्वारा भेजे गये कॉल डिटेल में जो टॉवर का एड्रेस आता है, उसकी रेंज कितनी है, इस बारे में मैंने मोबाईल कम्पनी से टॉवर की रेंज बाबत् कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। उक्त टॉवर की रेंज कहॉ से कहॉ तक थी, इस बाबत् भी कोई दस्तावेज मेरे द्वारा कम्पनी से प्राप्त नहीं किया गया। ऐसा भी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, जिसके संबंध में मोबाईल धारक जहॉ खड़ा हो, वहीं की लोकेशन एक्जेक्ट आती हो। यह भी स्वीकार करता है कि सी.डी.आर. में कॉल का विवरण है, कॉल किसके द्वारा किया जा रहा है, उसका विवरण नहीं है। मैंने सी.डी.आर. का जो डाटा प्राप्त किया, उसके वेरीफिकेशन के लिये कोई जॉच नहीं की।

42— अब इस संबंध में कॉल डिटेल रिकॉर्ड के संबंध में यदि अन्य विशेषज्ञ गवाह की साक्ष्य का अवलोकन करें, तो गवाह पी.डब्ल्यू. 27 प्रभात भूषण अपने बयानों में अभियुक्त राकेश कुमार, सोनू और प्रमोद को कैफ फॉर्म प्रदर्श पी 47 से प्रदर्श पी 49 तथा सी.डी.आर. प्रदर्श पी 50 से प्रदर्श पी 52 तथा धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 53, शालू की कैफ आई. डी., सी.डी.आर. और प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 54 लगायत प्रदर्श पी 56 देना स्वीकार करता है। वह भी अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि सी.डी. आर. में एक्जेक्ट लॉकेशन नहीं आती। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू. 28 राजेश

त्रिपाठी अभियुक्त मुकेश, सोनू तथा महेन्द्र के कैफ आई.डी., सी.डी.आर. रिकॉर्ड व धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 57 से प्रदर्श पी 64 देना स्वीकार करता है। यह गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि सी.डी.आर. में एक्जेक्ट लॉकेशन ज्ञात नहीं की जा सकती है। गवाह पी. डब्ल्यू. 31 दीपक, अपने बयानों में मोबाईल नम्बर की कैफ आई.डी. व सी.डी. आर. प्रदर्श पी 69 लगायत प्रदर्श पी 79 देना अपनी मुख्य परीक्षा में कहते हैं। जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि टॉवर की रेंज 2 से 5 किलोमीटर की रहती है और यह सही है कि मोबाईल की एक्जेक्ट लोकेशन सी.डी.आर. में नहीं आती, ना ही मैंने मोबाईल की लोकेशन की उपस्थिति बाबत् कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी को दिया। यह भी स्वीकार करते हैं कि सी.डी. आर. में वर्टिकल या हॉरीजेन्टल का कोई उल्लेख नहीं है और टॉवर की रेंज लगभग 2 से 5 किलोमीटर चारों दिशाओं में आएगी। अतः प्रदर्श पी 38 कॉल रिकॉर्ड विश्लेषण से यह तो प्रकट होता है कि आरोपीगण सभी एक दूसरे के सम्पर्क में थे और लगातार घटना से पहले और घटना वाले दिन बातचीत कर रहे थे, जिससे निःसन्देह उनके आचरण पर सन्देह उत्पन्न होता है, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक्जेक्ट लोकेशन नहीं है और टॉवर की लोकेशन में चारों तरफ 2 से 5 किलोमीटर का अन्तर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मोबाईल लॉकेशन के आधार पर कोई सटीक निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है। इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक निर्णय नवनीत कृष्णन बनाम राज्य, 2018(16) एस.सी. सी. 161** के मामले में यह स्पष्ट किया है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड अकेले किसी आरोपी की दोषसिद्धि के लिये निर्णायक साक्ष्य नहीं है।

43— इस क्रम में अनुसंधान अधिकारी (PW-35) कथन करते हैं कि अभियुक्त महेश, सोनू सिंह, राकेश को क्रमशः जरिये फर्द प्रदर्श पी 14, प्रदर्श पी 16 व प्रदर्श पी 17 गिरफ्तार करना कहते हैं। उसके बाद वह गिरफ्तारशुदा मुलजिमान महेश, सोनू सिंह और मुकेश के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 92, प्रदर्श पी 93, प्रदर्श पी 94 और प्रदर्श पी 100 देना बताते हैं, कि ''योजना के अनुसार उनके साथी मुकेश सिंह, महेन्द्र व प्रमोद के द्वारा मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.14 के.डी. 5367 पर सामोद वीर हनुमानजी जा रही महेश चंद की पत्नी शालू और उसके बुआ के लड़के राजू को सफारी गाड़ी नम्बर आर.जे. 14 यू.सी.

7615 से टक्कर देकर **जिस स्थान पर मारा था, वो मैं साथ चलकर बता सकता हूॅं।''**

44– अब यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना जिस जगह दुर्घटना होना बताते हैं, उसके बाबत् है। यह सर्वविदित है कि यह स्थल अनुसंधान अधिकारी के पूर्व में ज्ञान में था, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता, कि गिरफ्तारशुदा मुलजिम से कोई नई सूचना या बरामदगी हुई हो और इस इत्तिला के आधार पर आरोपों के संबंध में निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है। तत्पश्चात गवाह आरोपी सोनू सिंह के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श प्रदर्श पी 96 इस आशय की देना बताता है, कि योजना के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिये दिनांक 05.10.2022 को उनकी गाड़ी अल्टो कार लेकर जिस जगह पर साथी मुकेश, महेन्द्र, प्रमोद, राकेश से मिले, वह मैं बता सकता हूॅं और इसी प्रकार मुकेश सिंह के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 97 देना बताते हैं, कि ''घटना से पूर्व दिनांक 05.10.2022 को मुकेश और उसके साथी महेन्द्र, प्रमोद और राकेश जिस होटल में रूके थे और मृतका के पति महेश से जिस होटल के सामने मिले थे, वह मैं बता सकता हूॅं।'' इसी प्रकार की इत्तिला आरोपी राकेश के द्वारा देना बताते हैं, जो प्रदर्श पी 98 है और वह महेश के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 99 यह देना बताते हैं, कि ''पत्नी शालू और उसके बुआ के बेटे राजू को एक्सीडेन्ट से मारने के लिये रेकी करने और अंजाम देने के लिये मुलजिमान को जगह बताने के लिये जिस मोटरसाईकिल का उपयोग किया था, वह क्रिस्टल कोर्ट टॉवर में छिपाकर रखी है।'' आरोपी सोनू सिंह के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 100, जिसमें उन्होंने यह बताया कि ''महेश की पत्नी का एक्सीडेन्ट कर मारने के लिये घटनास्थल से उनके व उनके साथी मुकेश सिंह, महेन्द्र व प्रमोद को लाने के लिये जिस अल्टो कार को उपयोग में लिया था, उसको वह चलकर बता सकता है।''

45– अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या इत्तिला प्रदर्श पी 96, प्रदर्श पी 97, प्रदर्श पी 98 और प्रदर्श पी 99 के आधार पर ऐसी कोई बरामदगी हुई, जिससे कि आरोपों के संबंध में कोई सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 99 की इत्तिला के आधार पर

मोटरसाईकिल को जब्त किया गया है। आरोपी सोनू सिंह के द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी 100 के आधार पर अल्टो कार बरामद की गई है तथा इत्तिला प्रदर्श पी 96, प्रदर्श पी 97 और प्रदर्श पी 98 के आधार पर शेखावाटी होटल का नक्शा मौका बनाया गया है।

46— अब जहॉ तक धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला और बरामदगियों का प्रश्न है, तो इसके संबंध में हम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल के बयानों का अवलोकन करें, तो उक्त गवाह जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि यह कहना सही है कि उक्त आरोपीगण ने जो षड़यंत्र किया, उसको किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं देखा, ना ही कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त की। मैने जब्तशुदा वाहन से कोई फिंगर प्रिंट नहीं उठाये, ना ही अभियुक्तगण के फिंगर प्रिंट मिलान हेतु एफ.एस.एल. भिजवाये। आरोपीगण तथा मृतका को साथ—साथ किसी ने नहीं देखा। अभियुक्त महेन्द्र और प्रमोद दिनांक 04.10.2022 को शेखावाटी हवेली होटल के कमरा नम्बर 101 में रूके थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 68 शेखावाटी होटल का नक्शा मौका में घटना कारित करने वाली गाड़ी कहॉ खड़ी थी, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है, ना ही कोई चित्र बनाये हैं। यह कहना सही है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पर खून के धब्बे तथा स्त्री—पुरूष के बाल लगे हुए हों, इस बाबत् भी कोई अनुसंधान नहीं किया। यह कहना सही है कि चार्जशीट में आरोपी महेन्द्र को एक लाख रूपये और प्रमोद को दस—पन्द्रह हजार रूपये देना बताया है, इस बाबत् रूपये कब दिये, कहॉ दिये, कोई नक्शा मौका नहीं बनाया, ना ही कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त किये, ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्ध किये और ना ही दोनों से कोई रूपये बरामद किये। मृतका शालू और राजू के कब्जे से अनुसंधान अधिकारी ने कोई मोबाईल व दस्तावेज जब्त नहीं किया था। यह सही है कि होटल शेखावाटी हवेली में दिनांक 04.10.2022 से 05.10.2022 तक कौन—कौन कर्मचारी व वेटर काम कर रहे थे, उनकी सूची प्राप्त नहीं की और होटल संचालक इन्द्र दान चारण के अलावा अन्य किसी कर्मचारी और वेटर के बयान लेखबद्ध नहीं किये और अधिवक्ता अभियुक्त के इस प्रश्न पर, कि उन्होंने होटल शेखावाटी में मुलजिमान के रूकने की अभियोजन कहानी के अनुसार किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा मुलजिमान की पहचान की गई है या साक्ष्य दी गई है, के

संबंध में गवाह कथन करते हैं कि मुलजिमान के रूकने बाबत् इन्द्रदान चारण ने बताया था और होटल के रजिस्टर की प्रति दी थी और स्वीकार करते हैं कि होटल के रजिस्टर में राकेश बैरवा का नाम नहीं लिखा। खुद कहते हैं कि प्रमोद का नाम और उसके साथ रूके व्यक्तियों की संख्या लिखी हुई है।

47— इस संबंध में रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 11 ए का अवलोकन करें, तो स्पष्ट है कि उसमें पॉच पुरूषों के रूकने का इन्द्राज हो रखा है, परन्तु गेस्ट के नाम पर केवल प्रमोद कुमार का नाम अंकित है। अब इस क्रम में हम गवाह पी.डब्ल्यू. 5 इन्द्र दान चारण, होटल मालिक के बयानों का अवलोकन करें, तो वह अपने बयानों में कहते हैं कि होटल का लाईसेन्स उसके पिताजी के नाम है, जिसकी साज—संभाल वह करता है। दिनांक 05.10.2022 को रात को समय सवा बारह—साढे बारह बजे की बात है, पॉच व्यक्ति रूम नम्बर 101 में रूके थे। उन व्यक्तियों को रूम उसके होटल के कर्मचारी ने दिया था और कर्मचारी को पूछने पर उसने बताया था, कि रूम प्रमोद कुमार जाटव की आई.डी. से लिया है। उक्त लोग सफारी गाड़ी से आये थे, जो होटल के बाहर खड़ी थी। उन लोगों में से तीन लोग खाटू श्याम जी का बोलकर होटल से चले गये, बाकी दो लोग रूम में थे, जो बाद में सुबह गये थे। वह होटल पहुॅचने के बाद रिसेप्शन में ही सो रहा था। जिरह में यह स्वीकार करता है कि होटल के रजिस्टर में सोनू सिंह या मुकेश राठोड़ के नाम से एन्ट्री नहीं है। यह भी स्वीकार करता है कि सोनू सिंह और मुकेश राठोड़ मेरी होटल में ना कभी आये और ना कभी रूके। उस समय होटल पर मैं, मेरे पिताजी और दो कर्मचारी थे। मेरे कर्मचारियों के नाम मुझे ध्यान नहीं हैं। रिसेप्शन पर जो होता है, वह रजिस्टर मेन्टेन करता है। मुझे याद नहीं कि दिनांक 05.10.2022 को 24 घण्टे बाद होटल के रजिस्टर में एन्ट्री किस कर्मचारी ने की थी। यह भी स्वीकार करता है कि रजिस्टर में एन्ट्री करने वाले कर्मचारी का नाम दर्ज नहीं है। होटल में कौन रूका था, उस समय मैंने नहीं देखा।

48— अब इस क्रम में हम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 35 हरिपाल की जिरह का अवलोकन करें, तो वह भी यह स्वीकार करते हैं कि मेरे द्वारा शेखावाटी हवेली होटल का सी.सी.टी.वी. फुटेज जब्त नहीं किया, ना ही रजिस्टर जब्त किया और होटल मालिक कन्याण सिंह के भी बयान नहीं

लिये। यह भी स्वीकार करते हैं कि मैंने होटल में जो आरोपीगण रूके थे, उनकी शिनाख्तगी परेड नहीं कराई और ना ही मुलजिमान द्वारा होटल में दी गई आई.डी. को जब्त किया। महेश चंद दिनांक 05.10.2022 को अपने घर से रवाना होकर शेखावाटी होटल आया हो, इस संबंध में मैंने कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज जब्त नहीं किया, ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिये। आरोपीगण के होटल में रूकने बाबत् कोई बिल जब्त नहीं किया। यह भी स्वीकार करते हैं कि आरोपीगण को अपराध करने बाबत् उकसाते हुए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, ना ही कोई ऑडियो और सी.सी.टी.वी. फुटेज है। यह भी स्वीकार करते हैं कि मोटरसाईकिल और कार को खुले स्थान से जब्त किया है, जहॉ से कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। यह भी स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त राकेश सी–2 प्लाजा में अन्य मुलजिमान से मिला हो, इस बात की वहॉ स्थित किसी भी सी.सी.टी.वी. फुटेज या अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। यह भी स्वीकार करते हैं कि जब्तशुदा वाहन के अलावा जो दूसरा वाहन सी.सी.टी.वी. फुटेज में दिख रहा था, उस वाहन के चालक से कोई अनुसंधान नहीं किया और इस प्रश्न के उत्तर में, कि क्या होटल शेखावाटी हवेली में अभियुक्तगण साजिश करने के लिये रूके और घटना को अंजाम देने के लिये वहॉ से निकले, इस संबंध में कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा है या नहीं, आपने चेक किया या नहीं, तो गवाह ने कथन किया, कि वह नहीं बता सकते। यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी 24 में जो अल्टो कार जब्त की है, उस अल्टो कार का वारदात की रेकी के दौरान का आने–जाने का कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज या अन्य कोई साक्ष्य शामिल नहीं किया। यह भी स्वीकार करते हैं कि आरोपी मुकेश सिंह को जो 5,50,000रूपये देने की बात आई है, वह रूपये आरोपी मुकेश सिंह व सोनू सिंह से बरामद नहीं किये गये। यह भी स्वीकार करते हैं कि अनुसंधान के दौरान ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आई, जिससे यह प्रकट होता हो, कि पैसे सोनू सिंह या मुकेश सिंह को देना आया हो। यह भी स्वीकार करते हैं कि मुलजिमान सोनू सिंह और मुकेश के वारदात में शामिल होने के बाबत् कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है।

49– अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन जो आरोपीगण के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचना बताता है, वह स्पष्ट है कि उनके कॉल डिटेल विश्लेषण रिपोर्ट

प्रदर्श पी 38 व उससे संबंधित दस्तावेजात् के आधार पर कहता है, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि निश्चित रूप से प्रदर्श पी 38 के अवलोकन से यह तो प्रकट होता है कि आरोपीगण घटना से पहले और घटना के समय लगातार एक दूसरे के सम्पर्क में थे और उनके आचरण पर सन्देह भी उत्पन्न होता है, परन्तु इस आधार पर भी जब तक कि यह तथ्य अन्य किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित ना हो, केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड निर्णायक नहीं हो सकती, यह सुस्थापित विधि है। इसके अतिरिक्त जो धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के आधार पर बरामदगियॉ करना कहते हैं, तो उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि इत्तिला के आधार पर जो गाड़ी या मोटरसाईकिल जब्त करना कहते हैं, वह बरामदगी नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त इत्तिला के आधार पर उक्त मोटरसाईकिल या अल्टो कार के संबंध में या तो कोई मौखिक साक्ष्य या कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज या इस प्रकार की साक्ष्य आये, जिससे यह विदित हो, कि सूचना में बताये अनुसार उक्त मोटरसाईकिल और गाड़ी से आसपास की रेकी की जा रही थी और घटना के पश्चात अन्य अभियुक्तगण को लाने में उपयोग उपयोग किया गया। उपरोक्त साक्ष्य का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सूचनाओं की पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं होती है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वह धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला वास्तव में केवल पूर्व ज्ञात तथ्यों की पुनरावृत्ति मात्र थी।

50— यहॉ न्यायालय यह भी उल्लेख करना चाहता है कि प्रकरण में परीक्षित शेष गवाह पी.डब्ल्यू. 2 विशाल कन्नोजिया, पी.डब्ल्यू. 6 सोनू कन्नोजिया, पी. डब्ल्यू. 7 सुरेश चंद, पी.डब्ल्यू. 8 मुकुल वर्मा, पी.डब्ल्यू. 10 मोनू वर्मा, पी. डब्ल्यू. 11 महेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 14 गोविन्द कन्नोजिया फर्द पंचायतनामा लाश से संबंधित गवाह हैं, जिनके बयानों में आरोपों से संबंधित कोई स्पष्ट कथन नहीं है और उनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की होने से उसका विश्लेषण नहीं किया गया है।

51— इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 13 डॉ. ज्ञान प्रकाश गौड और पी.डब्ल्यू. 26 डॉ. राशि पोस्टमार्टम के गवाह हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 डॉ. ज्ञान प्रकाश गौड ने मृतका शालू का पोस्टमार्टम किया था और उनकी राय में मृत्यु का कारण शॉक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 39 होना कहते हैं। गवाह पी.

डब्ल्यू. 26 डॉ. राशि, जिन्होंने मृतक राजू का पोस्टमार्टम करना कथन किया है, वह उनकी मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने से कोमा में जाना बताती हैं। यह उल्लेखनीय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की मृत्यु सामान्य सड़क दुर्घटना में हुई अथवा हत्या कर के हुई, इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

52— प्रकरण के शेष गवाह पी.डब्ल्यू. 3 धर्मवीर सिंह, पी.डब्ल्यू. 12 दयाराम, पी.डब्ल्यू. 15 सुनील कन्नोजिया, पी.डब्ल्यू. 16 लखन, पी.डब्ल्यू. 17 रामावतार, पी.डब्ल्यू. 18 रघुनाथ प्रसाद, पी.डब्ल्यू. 21 घनश्याम, पी.डब्ल्यू. 22 हंसराम वर्मा, पी.डब्ल्यू. 24 विजय कुमावत, पी.डब्ल्यू. 25 हनी सिंह, पी.डब्ल्यू. 30 धर्मपाल, पी.डब्ल्यू. 32 सूरज कुमार, पी.डब्ल्यू. 33 रामप्रताप और पी.डब्ल्यू. 36 रामगोपाल फर्द गिरफ्तारी, अभियुक्तगण से की गई बरामदगी के वक्त बनाई फर्दात्, नक्शे मौके, एफ.आई.आर. दर्ज करने, मालखाना, वाहन का मैकेनिकल मुआयना करने या गोल्ड लोन लिये जाने आदि से संबंधित गवाह हैं।गवाहान की साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात इन गवाहान की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की रह जाने से विस्तृत रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है।

53— न्यायालय के विनम्र मत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड का कोई अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय Corrobordion उपलब्ध नहीं और उनसे केवल अभियुक्तगण के मध्य बातचीत होना तो माना जा सकता है, परन्तु क्या बात हुई, क्या अपराध में उनकी सहभागिता थी, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिससे सी.डी.आर. मात्र अभियुक्तगण की आपराधिक संलिप्तता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

54— हस्तगत प्रकरण की घटना का कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं होने से यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरदी चंद में पंच मूल सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। उक्त सिद्धान्तों के मध्यनजर उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा स्थापित प्रत्येक परिस्थिति स्वतंत्र रूप से संदेह से परे सिद्ध नहीं होती, ना ही समस्त परिस्थितियॉ मिलकर केवल अभियुक्तों के दोष की ओर इंगित करती हैं, ना वह किसी अन्य संभावना को पूर्णतः समाप्त करती हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रंखला पूर्ण, अखण्ड एवं दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है और उसमें महत्वपूर्ण

कड़ियाँ अनुपस्थित हैं, जिससे अभियोजन अपना मामला (beyond reasonable doubt) युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

55— इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के संबंध में किये गये उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारणीय बिन्दू युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है, कि अभियुक्तगण ने दिनांक 05.10.2022 को समय सुबह 5.45 बजे या इसके करीब किसी समय मौजा हरमाडा घाटी, सीकर रोड, तहत थाना हरमाडा, सरहद जयपुर महानगर पर आपस में मिलकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर एक राय होकर वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 14 के.डी. 5367 पर सवार राजू व शालू के पीछे से टाटा सफारी कार नम्बर आर.जे. 14 यू.सी. 7615 से जोरदार टक्कर मारकर उनकी हत्या कारित की हो तथा शालू की हत्या करने के आशय से अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर उनकी मोटरसाईकिल के पीछे से उक्त टाटा सफारी कार से जोरदार टक्कर मारने का कृत्य दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कारित किया हो। अतः अभियुक्तगण **महेश चन्द उर्फ राजू, मुकेश सिंह राठौड, सोनू सिंह, राकेश कुमार बैरवा, महेन्द्र सिंह राठोड एवं प्रमोद कुमार जाटव** आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

56— अतः अभियुक्तगण **महेश चन्द उर्फ राजू, मुकेश सिंह राठौड, सोनू सिंह, राकेश कुमार बैरवा, महेन्द्र सिंह राठोड एवं प्रमोद कुमार जाटव** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपठित 34, 109 सपठित 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में सन्देह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जाता है।

57— अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबंधित प्रावधान की पालना में **प्रत्येक** अभियुक्त 50,000रूपये की जमानत एवं 50,000रूपये का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करावे।

58— प्रकरण में जब्तशुदा मोबाईल (समस्त डाटा डिलीट करने के पश्चात) एवं वाहन बाद गुजरने मियाद अपील उनके अधिकृत/पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार लौटाये जावें तथा प्रकरण में जब्तशुदा अन्य वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार नष्ट कर दिए जावें। उक्त प्रकरण में अपील होने की स्थिति में मालखाना पूर्णतः सुरक्षित रखा जावे तथा माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जावे।

59— चूंकि पत्रावली पर हत्या कारित हो, ऐसा संदेह से परे नहीं कहा जा सकता और मृतकों की मृत्यु दुर्घटना में होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। दुर्घटना में मृत्यु होने पर एम.ए.सी.टी. में कार्यवाही का प्रावधान पूर्व से है। अतः इन परिस्थितियों में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कोई अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(श्वेता ढाका)

अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूॅ

60— निर्णय एवं आदेश आज दिनांक **27.07.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित मुद्रांकित उद्घोषित किया गया।

(श्वेता ढाका)

अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10,
जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमूॅ